विषय सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ
0	**कार्यपालक सारांश**	**0-1**
0.1	परिचय	0-1
0.2	अध्ययन के उद्देश्य	0-2
0.3	अध्ययन का विषय क्षेत्र	0-2
0.4	कार्य प्रणाली	0-2
0.6	पुनर्वास से जुड़े मुद्दे	0-4
0.7	परियोजना मार्ग के दायरे में भू उपयोग	0-5
0.8	सामाजिक प्रभाव आकलन	0-5
0.9	कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट या प्रभाव का गलियारा	0-7
0.10	कट ऑफ तारीख	0-9
0.11	जनगणना और आधाररेखा सामाजिक-आर्थिक डेटा का विश्लेषण	0-10
0.12	साक्षरता स्तर	0-13
0.13	प्रभावित परिवारों का संसाधन आधार	0-13
0.14	सामान्य गतिविधि	0-14
0.15	पेशेगत पैटर्न	0-14
0.16	घर-परिवारों का औसत वार्षिक आय और व्यय	0-14
0.17	परियोजना केंद्रित पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आर एंड आर) नीति	0-15
0.18	सड़क चौड़ी करने के विकल्प	0-18
0.19	पुनर्स्थापन का समय	0-19
0.20	सांस्थानिक व्यवस्था	0-20
0.21	एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र	0-20
0.22	क्रियान्वयन व्यवस्थाएं और समय सारिणी	0-20

तालिका सूची

तालिका 0.1: मौजूदा आरओडब्ल्यू की उपलब्धता 0-3
तालिका 0.2: परियोजना का प्रभाव 0-7
तालिका 0.3: हानि के अनुसार परिवारों का वितरण 0-7
तालिका 0.4: बदायूं-बिल्सी-बिजनौर खंड (एसएच-51) को चौड़ा करने का कार्यक्रम 0-7
तालिका 0.5: हानि के प्रकार के अनुसार परियोजना प्रभावित घर-परिवारों का वितरण 0-8
तालिका 0.6 : कट ऑफ तारीख 0-9
तालिका 0.7: स्वामित्व की स्थिति के अनुसार परियोजना प्रभावित घर-परिवारों का वितरण 0-9
तालिका 0.8: श्रेणी के अनुसार सामुदायिक संपत्तियों का वितरण 0-10
तालिका 0.9 : प्रभावित और विस्थापित परिवारों का वितरण 0-10
तालिका 0.10 : प्रभाव के प्रकार के अनुसार पीएएफ और पीडीएफ का वितरण 0-10
तालिका 0.11: कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट की जनसांख्यिकी 0-11
तालिका 0.12: कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट में सामाजिक विशेषताएं 0-11
तालिका 0.13: साक्षरता स्तर के अनुसार पीएपी का वितरण 0-12
तालिका 0.14: हानि के प्रकार के अनुसार परिवारों का वितरण 0-12
तालिका 0.15: कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट में घर-परिवारों का वध्यता स्तर 0-12
तालिका 0.16: स्वामित्व की स्थिति के अनुसार परियोजना प्रभावित घर-परिवारों का वितरण 0-13
तालिका 0.17: संसाधन आधार 0-13
तालिका 0.18: संरचनाओं की निर्माण टाइपोलॉजी 0-14
तालिका 0.19: सामान्य गतिविधि 0-14
तालिका 0.20: आय के स्तर के अनुसार घर-परिवारों का वितरण 0-14
तालिका 0.21: आय के प्राथमिक स्रोत के अनुसार घर-परिवारों का वितरण 0-15
तालिका 0.22: टिपिकल क्रॉस सेक्शन (टीसीएस) 0-18
तालिका 0.23: परियोजना सड़क के साथ निर्मित स्थल 0-19
तालिका 0.24: हिस्से या पट्टियां ठेकेदार को सौंपे जाने की योजना 0-20
तालिका 0.25: प्रस्तावित पुलों पर भूमि अधिग्रहण के विवरण 0-21
तालिका 0.26: पुलों के रिएलाइनमेंट के कारण प्रभावित हो रहे भूखंड संख्याओं की सूची 0-21
तालिका 0.27: पुलों के रिएलाइनमेंट के कारण प्रभावित हो रहे भूखंड संख्याओं की सूची 0-22
तालिका 0.28: आरएंडआर नीति पर आधारित आरएंडआर बजट की अनुमानित लागत 0-23

संक्षिप्त अक्षर

BPL बीपीएल	गरीबी की रेखा के नीचे
CBO सीबीओ	सामुदायिक आधार संगठन
COI सीओआई	प्रभाव का गलियारा
CPCB सीपीसीबी	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CPR सीपीआर	साझा संपत्ति संसाधन
DC डीसी	जिला कलेक्टर
EA ईए	पर्यावरण आकलन
ESDRC ईएसडीआरसी	पर्यावरणिक सामाजिक विकास और पुनर्स्थापन समिति
EIA ईआईए	पर्यावरण प्रभाव आकलन
EMP ईएमपी	पर्यावरण प्रबंधन योजना
EP ईपी	हकदार/पात्र व्यक्ति
ESMF ईएसएमएफ	पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन रूपरेखा
GSHAP जीएसएचएपी	वैश्विक भूकंपीय खतरा आकलन कार्यक्रम
GoUP जीओयूपी	उत्तर प्रदेश सरकार
Govt.	सरकार
GOI जीओआई	भारत सरकार
GRC जीआरसी	शिकायत निवारण प्रकोष्ठ
HCA एचसीए	गृह निर्माण भत्ता
MoEF एमओईएफ	वन और पर्यावरण मंत्रालय
MORST एमओआरएसटी	सड़क और सतह परिवहन मंत्रालय
NEIAA एनईआईएए	राष्ट्रीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण
NGO एनजीओ	गैर-सरकारी संगठन
PAP पीएपी	परियोजना प्रभावित व्यक्ति
PAF पीएएफ	परिजोजना प्रभावित परिवार
PDF पीडीएफ	परियोजना विस्थापित परिवार
PDP पीडीपी	परियोजना विस्थापित व्यक्ति
PIU पीआईयू	परियोजना क्रियान्वयन इकाई

PMC	पीएमसी	परियोजना प्रबंधन सलाहकार
PWD/UPPWD	पीडब्ल्यडी/यूपीपीडब्ल्यूडी	लोक निर्माण विभाग/उत्तर प्रदेश लोग निर्माण विभाग
R&R	आर एंड आर	पुनर्स्थापन और पुनर्वास
RAP	आरएपी	पुनर्वास कार्य योजना
RFCTLAR&R	आरएफसीटीएलएआरएंडआर	भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे तथा पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013
ROW/RoW	आरओडब्ल्यू	राइट ऑफ वे
RRO	आरआरओ	पुनर्स्थापन और पुनर्वास अधिकारी
RTI	आरटीआई	सूचना का अधिकार अधिनियम
SC/ST	एससी/एसटी	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
SEIAA	एसईआईएए	राज्य पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण
SES	एसईएस	सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण
SH	एसएच	राज्य राजमार्ग
SIA	एसआईए	सामाजिक प्रभाव आकलन
SLAO	एसएलएओ	विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी
SMF	एसएमएफ	सामाजिक प्रबंधन रूपरेखा
SOR	एसओआर	दर सूची
u/s	यू/एस	धारा के अधीन
UP/U.P.	यूपी/यू.पी.	उत्तर प्रदेश
UPPCB	यूपीपीसीबी	उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

शब्दावली

गरीबी रेखा के नीचे : सभी स्रोतों से वार्षिक आमदनी योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट धनराशि से कम हो।

प्रभावों का गलियारा : सड़क के उन्नयन के लिए आवश्यक भूमि की चौड़ाई।

विकास खंड : अनेक गांवों का एक समूह जिसके प्रशासनिक प्रमुख विकास खंड अधिकारी होते हैं।

जिला कलेक्टर : जिले का प्रशासनिक प्रमुख

परिभाषाएं

कटऑफ तारीख :

i) भूमि अधिग्रहण से कानूनी स्वत्वाधिकार-धारियों के प्रभावित होने की स्थिति में कटऑफ तारीख आरएफसीटीएलएआरएंडआर अधिनियम, 2013 की धारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के जारी होने की तारीख होगी।

ii) गैर-स्वत्वाधिकार धारियों के लिए कटऑफ तारीख जनगणना सर्वे की तारीख होगी;

परियोजना प्रभावित व्यक्ति : वह व्यक्ति जो परियोजना के निर्माण के कारण वासभूमि सहित अपनी जमीन और उस पर बनी इमारत, व्यापार और पेशे के संदर्भ में प्रभावित हुआ है।

परियोजना विस्थापित व्यक्ति : वह व्यक्ति जो परियोजना के कारण अपना निवास स्थान और/या व्यवसाय का कार्यस्थल बदलने के लिए मजबूर हुआ है।

परियोजना प्रभावित परिवार : परिवार में एक व्यक्ति, उसका जीवनसाथी, अवयस्क बच्चे, अवयस्क भाई और अवयस्क बहन, जो उस पर आश्रित हों, शामिल हैं। बशर्ते कि विधवाओं, तलाकशुदाओं और परिवार द्वारा परित्यक्त महिलाओं को पृथक परिवार माना जाएगा;

स्पष्टीकरण – जीवनसाथी के साथ या बगैर एक वयस्क पुरुष या महिला या बच्चों या आश्रितों को इस कानून के उद्देश्य के लिए पृथक परिवार माना जाएगा।

जमीन मालिक/भू स्वामी : "जमीन मालिक/भू स्वामी" में ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल है -

(i) जिसका नाम संबंधित प्राधिकार के अभिलेखों में उस जमीन या भवन या उसके हिस्से के मालिक या स्वामी के रूप में दर्ज है; या

(ii) कोई भी व्यक्ति जिसे अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 या वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून के अधीन वन अधिकार प्रदान किए गए हैं; या

(iii) जो राज्य के किसी भी कानून के अधीन प्रदत्त जमीनों सहित उस जमीन पर पट्टा अधिकार दिए जाने का हकदार है; या

(iv) कोई भी व्यक्ति जिसे न्यायालय अथवा प्राधिकरण के आदेश के द्वारा इस रूप में घोषित किया गया हो।

सीमांत किसान : "सीमांत किसान" का अर्थ है वह किसान जिसके पास एक हेक्टेयर तक गैर-सिंचित जोत जमीन हो या आधे हेक्टेयर तक सिंचित जोत जमीन हो।

लघु किसान : "लघु किसान" का अर्थ है वह किसान जिसके पास >1 हेक्टेयर तक गैर-सिंचित जोत जमीन हो या एक हेक्टेयर तक सिंचित जोत जमीन हो, लेकिन सीमांत किसान की जोत जमीन से अधिक हो।

अतिक्रमणकारी	:	एक व्यक्ति जिसने अपनी जमीन या संपत्ति से सटी हुई सरकारी/ निजी/ सामुदायिक जमीन का अतिक्रमण कर लिया है जिसका वह अधिकारी नहीं है और जिससे वह कटऑफ तारीख के पहले से अपनी आजीविका और आवास प्राप्त कर रहा/रही है।
कब्जाधारी	:	एक कब्जाधारी वह व्यक्ति है जो कटऑफ तारीख से पहले आवास या आजीविका के लिए सार्वजनिक स्वामित्व की जमीन पर बस गया है या जिसने बगैर प्राधिकार के सावर्जनिक स्वामित्व की इमारत पर कब्जा किया हुआ है।
भूमिहीन/खेतिहर मजदूर	:	वह व्यक्ति जिसके पास कटऑफ तारीख से पहले अपनी कोई भी कृषि भूमि नहीं है और अपनी मुख्य आमदनी के लिए दूसरों की जमीन पर उप-काश्तकार के रूप में या खेतिहर मजदूर के रूप में कार्य कर रहा है।
गरीबी रेखा के नीचे	:	ऐसा घर-परिवार जिसकी सभी स्रोतों से वार्षिक आमदनी भारत के योजना आयोग द्वारा निर्धारित एक निर्दिष्ट धनराशि से कम है, उसे गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल) घर-परिवार माना जाएगा।
वध्य/कमजोर व्यक्ति	:	वध्य या कमजोर समूह में निम्नलिखित शामिल होंगे किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे : a. वे लोग जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिभाषित "गरीबी की रेखा के नीचे" श्रेणी के तहत आते हैं; b. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा समुदाय के सदस्य; c. ऐसे घर-परिवार जिनकी मुखिया महिलाएं हैं;

* पीएपी में परियोजना विस्थापित परिवार शामिल हैं, लेकिन सभी पीएपी विस्थापित व्यक्ति नहीं भी हो सकते हैं।

0 कार्यपालक सारांश

0.1 परिचय

राज्य में 2,99,604 कि.मी. का सड़क नेटवर्क है, जिसमें से 1,74,451 कि.मी. सड़कें उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अंतर्गत आती हैं। पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आने वाली सड़कों में 7,550 कि.मी. के राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच), 7,530 कि.मी. के राज्य या प्रादेशिक राजमार्ग (एसएच), 5,761 कि.मी. की प्रमुख जिला सड़कें (एमडीआर), 3,254 कि.मी.की अन्य जिला सड़कें (ओडीआर) और 1,38,702 कि.मी. की ग्रामीण सड़कें (वीआर) हैं। केवल 60 प्रतिशत राज्य राजमार्ग दो लेन (7 मी.) हैं। पूरे राज्य में 62 प्रतिशत एमडीआर और 83 प्रतिशत ओडीआर की चौड़ाई 7 मी. से कम है।

यातायात नेटवर्क में सुधार लाने के नजरिये से यूपी पीडब्ल्यूडी ने विकास के लिए 24,095 कि.मी. लंबे कोर रोड नेटवर्क की पहचान की है। कोर रोड विकास कार्यों में निर्माण धरातल को ऊंचा उठाना, मौजूदा एक लेन या मध्यवर्ती लेन की चौड़ाइयों को बढ़ाकर पूर्ण दो लेन चौड़ाई तक लाना और/या पेवमेंट या पक्के फर्श को बहाल/मजबूत करना आते हैं। सड़कों के जिन खंडों पर गैर-मोटर यातायात की मात्रा बहुत अधिक है, उन्हें 10 मी. तक चौड़ा किया जाएगा, जिनमें 1.5 मी. के पूर्ण पेव्ड शोल्डर होंगे। शहरी इलाकों से गुजरने वाले सड़क के हिस्सों को चार लेने के खंड़ों में उन्नत करने की और/या जहां जरूरी हो वहां नालियों, सड़क किनारे पैदल मार्ग और पार्किंग आदि की भी व्यवस्था करने की आवश्यकता हो सकती है। कुछ मामलों में सड़क की सीध मिलाने के लिए नई सड़क बनाने (बायपास और/या पुनर्निमाण) की भी जरूरत पड़ सकती है। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए यूपी कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (यूपीसीआरएनडीपी) की अभिकल्पना की गई है। यूपीसीआरएनडीपी के तीन अवयव होंगे :

- कोर रोड नेटवर्क (सीआरएन) की चुनिंदा सड़कों का उन्नयन/ पुनर्निर्माण/ चौड़ा करना और साथ ही पुनर्बहाली, जिसमें लखीमपुर खीरी जिले में पचफेरी घाट पर एक नए शारदा पुल का निर्माण भी शामिल हैं।
- सड़क सुरक्षा अवयव : सड़क सुरक्षा के उप-अवयवों का एक विशद और समन्वित पैकेज परिवहन, गृह, लोक निर्माण और स्वास्थ्य विभागों द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- सड़क क्षेत्र और सांस्थानिक सुधार अवयव : इस अवयव में ऐसे एक कार्यक्रम को शामिल करना संभावित है, जिससे एसएच, एमडीआर और ओडीआर के लिए पीडब्ल्यूडी के परिसंपत्ति प्रबंधन को मजबूत बनाया जाएगा और मानव संसाधन प्रबंधन के लिए आईटी प्रणालियों को लागू करने, निर्माण कार्यों के बजट बनाने तथा पीडब्ल्यूडी के पूरे संगठन में प्रबंधन के लिए सहायता दी जाएगी।

इस परियोजना में शामिल करने के लिए चुने गए बदायूं-बिल्सी-बिजनौर मार्ग ने परियोजना व्यवहार्यता अध्ययनों में आंतरिक उच्च प्रतिलाभ दरें प्रदर्शित की हैं। हालांकि ऐसे प्रतिलाभों की मात्रा निर्धारित नहीं की गई है, किंतु परियोजना से यह भी अपेक्षा की जाती है कि यह खेती-किसानी, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और जन सुरक्षा के रास्ते में आने वाली विकास की रुकावटों को कम करने में मदद करेगा और साथ ही विकास गतिविधियों का सामान्य विस्तार करने और उनमें विविधता लाने में योगदान देगा। परियोजना मार्ग, बदायूं-बिल्सी-बिजनौर मार्ग (एसएच-51) मौजूदा लंबाई 80 (58+400 कि.मी. से 137+820 कि.मी.) है।

उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग 3 वर्षों की अवधि में इस परियोजना को क्रियान्वित करेगा। इस गलियारे विशेष में पुल स्थल के नजदीक भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित किया जा रहा है, इसमें स्वत्वाधिकारी और गैर-स्वत्वाधिकार-धारी दोनों हैं, जिन पर परियोजना की वजह से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इसी के अनुरूप पुनर्स्थापन कार्य योजना (आरएपी) तैयार की गई है। पुनर्स्थापन कार्य योजना तैयार करने का प्राथमिक उद्देश्य परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करना है, ताकि प्रभावों को कम से कम किया जा सके और इन प्रभावों की गंभीरता कम करने के उपाय किए जा सकें। चूंकि विस्थापन अपरिहार्य है, इसलिए पुनर्वास को इस तरीके से करने की जरूरत है जिससे पीएपी के जीवन स्तर को पुनर्स्थापित किया जा सके। वध्य और कमजोर समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आरएपी में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनसे सुनिश्चित किया जा सकेगा कि पीएपी को उनकी गंवाई गई परिसंपत्तियों के लिए विस्थापन मूल्य से हर्जाना अदा किया जा सके और उन्हें परियोजना से पहले की अपनी सामाजिक-आर्थिक हैसियत को फिर से हासिल

करने या उसमें सुधार लाने के लिए समर्थ बनाया जा सके। आरएपी एक जीबंत और अद्यतन दस्तावेज है और इसे समय-समय पर आवश्यकतानुसार नवीनतम बनाया जाएगा। इस प्रकार रूपांतरित डेटा के आधार पर अंतिम आरएपी की क्रियान्वयन किया जाएगा।

यह दस्तावेज उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (यूपीपीडब्ल्यूडी) के पुनर्स्थापन और पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी) से बना है। आरएपी भारत सरकार (जीओआई) और विश्व बैंक की सभी पुनर्स्थापन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है और जन भागीदारी, पर्यावरण मूल्यांकन और मूल निवासियों सहित इस संदर्भ में लागू होने वाले भारत सरकार तथा विश्व बैंक (ओडी 4.20 और 4.30) के विनियमों, नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करता है। यह *उत्तर प्रदेश में परियोजनाओं से विस्थापित और प्रभावित व्यक्तियों के लिए पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति* की पुष्टि करता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 19 अगस्त 2014 के पत्र संख्या 1195(1)/23-12-14 के माध्यम से इस नीति को स्वीकृति दी है। उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी अन्य सरकारी एजेंसियों और गैर-सरकारी तथा समुदाय-आधारित संगठनों की सहायता से इस आरएपी का क्रियान्वयन करेगा।

0.2 अध्ययन के उद्देश्य

पहले सामाजिक संविक्षा या पड़ताल की गई और इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

- ✓ एक आधाररेखा डेटाबेस बनाना जिसमें प्रस्तावित मार्ग के बिल्कुल नजदीक के जनसाधारण और महत्वपूर्ण बातों का विवरण होगा;
- ✓ सड़क को चौड़ा करने/सुधार करने के प्रस्तावों से संभवतः प्रभावित होने वाली इमारतें या संरचनाएं;
- ✓ सामाजिक समस्याओं को सामने लाना और उन सामाजिक समस्याओं का शमन करने के लिए सामान्य तथा विशिष्ट मिटिगेशन उपायों के सुझाव देना, जिनका सामना परियोजना प्रभावित लोगों को करना पड़ सकता है, जैसे आजीविका की हानि, विस्थापन और सामुदायिक सुविधाओं से वंचित होना, आदि;
- ✓ एक पुनर्स्थापन कार्य योजना विकसित करना, ताकि परियोजना के नकारात्मक प्रभावों को टाला, कम या हल्का किया जा सके और सकारात्मक प्रभावों, स्थायित्व और विकास लाभों को बढ़ाया जा सके।

0.3 अध्ययन का विषय क्षेत्र

अध्ययन के विषय क्षेत्र में शामिल है:

- प्रभावित होने वाली संभावित इमारतों का इमारत सत्यापन सर्वे और परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) का सामाजिक-आर्थिक सर्वे करना, ताकि प्रभाव के स्तर के बारे में आधाररेखा जानकारी जुटाई जा सके और पीएपी की आधाररेखा सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सके।
- एक 'स्ट्रिप प्लान' या खाली करने की योजना तैयार करना, जिसमें परियोजना के मार्ग के साथ प्रभावित होने वाली संभावित मौजूदा इमारतों को दिखाया गया हो।
- पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आरएंडआर) अध्ययनों सहित सामाजिक प्रभाव आकलन का संचालन करना।
- सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) रिपोर्ट और पुनर्स्थापन कार्य योजना की तैयारी।

0.4 कार्य प्रणाली

पुनर्स्थापन कार्य योजना प्राथमिक और द्वितीयक डेटा स्रोतों पर आधारित है। द्वितीयक डेटा स्रोतों में परियोजना जिले का गजेटियर या राजपत्र और जिला जनगणना विवरण 2011 शामिल हैं। सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की गई, जिसका गलियारे की चिन्हित चौड़ाई के भीतर परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की जनगणना और सामाजिक-आर्थिक सर्वे करने के लिए उपयोग किया गया।

यह पुनर्स्थापन कार्य योजना (आरएपी) रिपोर्ट कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (यूपी पीडब्ल्यूडी) द्वारा प्रतिपादित पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आर एंड आर) नीति के अनुसार तैयार की गई है और अनिच्छा से विस्थापित व्यक्तियों तथा मूल निवासियों के पुनर्स्थापन के लिए विश्व बैंक के संचालनगत निर्देशों (ओ.पी.) 4.12 तथा

ओ.पी. 4.10 और उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्वास नीति पर आधारित है। परियोजना से प्रभावित लोगों की पुनर्स्थापना और पुनर्वास की दिशा में एक विकासोन्मुखी तरीका अपनाने के लिए आरएंडआर नीति का सिद्धांत मार्गदर्शक फलसफा है।

परियोजना मार्ग की लंबाई के दोनों ओर 15 मी. भूभाग को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक सामाजिक आकलन किया गया, जिसमें जंक्शन या चौराहों, पुलों आदि जैसी प्रस्तावित सुविधाओं को शामिल नहीं किया गया। इस खंड में भू उपयोग की ज्यादातर श्रेणियां हैं कृषि (प्रधान रूप से); स्थानीय निवासियों द्वारा संचालित आवासीय और सामान्य गतिविधियां। बदायूं-बिल्सी-बिजनौर मार्ग (एसएच-51) मौजूदा लंबाई 80 (58+400 कि.मी. से 137+820 कि.मी.)।

परियोजना की तैयारी के चरण में विभिन्न प्रकार के सलाह-मशविरे किए गए, जैसे प्रमुख सूचना प्रदाताओं के साथ आद्यांत साक्षात्कार, ध्यान केंद्रित समूह चर्चाएं, सेमिनार और बैठकें। सलाह-मशविरे के कार्यक्रमों में निम्न शामिल थे :

- प्रभावित होने वाले संभावित घर-परिवारों के मुखिया;
- घर-परिवार के सदस्य;
- पीएपी के झुंड या समूह;
- ग्रामीण या गांव वाले;
- ग्राम पंचायतें;
- सरकारी एजेंसियां और विभाग; और

सलाह-मशविरे के अंक की तौर पर महिलाओं को पुरुष की गैरमौजूदगी में उनकी बात कहने का अवसर दिया गया।

0.5 अधिकृत रास्ता (राइट ऑफ वे) तथा प्रभाव का गलियारा (कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट)

मौजूदा सड़क के लिए राइट ऑफ वे या अधिकृत रास्ता राज्य सरकार के स्वामित्व वाली सार्वजनिक भूमि है, जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था पीडब्ल्यूडी द्वारा की जाती है। पीडब्ल्यूडी के नियंत्रण वाला राइट ऑफ वे वैध तरीके से अधिग्रहीत भू गलियारा है। इसकी औसत स्थापित चौड़ाई 25 मी. (20 मी. से 40 मी. तक अलग-अलग) है। इतना ही नहीं, राइट ऑफ वे बाधाओं से मुक्त भी नहीं है, जैसा कि स्ट्रिप मैप्स या पट्टी मानचित्रों से देखा जा सकेगा। पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग के पास उपलब्ध अभिलेखों का इस्तेमाल करते हुए आरएंडआर टीम ने कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट के भीतर और नजदीक कानूनी राइट ऑफ वे की सीमाओं का और साथ ही निजी संपत्तियों की सीमाओं का भी सत्यापन किया है। विस्थापन की सीमा न केवल कानूनी राइट ऑफ वे तक बल्कि केवल कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट तक सीमित रहेगी। कॉरिडोर/प्रिज्म ऑफ इंपैक्ट वह गलियारा है जो परिवहन मार्ग, शोल्डर, पुश्तों और लंबवत नालियों सहित वास्तविक सड़क के निर्माण के लिए आवश्यक है। इस गलियारे के भीतर कोई इमारतें या रुकावटें नहीं होनी चाहिए।

तालिका 0.1: मौजूदा आरओडब्ल्यू की उपलब्धता

क्र. सं.	नई डिजाइन कड़ियां (कि.मी.)		साजरा नक्शे के अनुसार आरओडब्ल्यू (औसत मी. में)	क्रास सेक्शन का प्रकार	सड़क मार्ग की चौड़ाई (मी.)	बड़े निर्मित क्षेत्र
	प्रारंभ	खत्म				
1	58.40	59.33	25	1A	12	
2	59.33	59.82	25	2	13	मुख्तार
3	59.82	66.30	25	1A	12	
4	66.30	66.97	25	2	13	बहजोई
6	66.97	72.36	28	1A	12	
7	72.36	72.92	24	2	13	भवन
8	72.92	76.16	20	1A	12	

क्र. सं.	नई डिजाइन कड़ियां (कि.मी.)		साजरा नक्शे के अनुसार आरओडब्ल्यू (औसत मी. में)	क्रास सेक्शन का प्रकार	सड़क मार्ग की चौड़ाई (मी.)	बड़े निर्मित क्षेत्र
	प्रारंभ	खत्म				
9	76.16	76.57	20	2	13	अतरासी
10	76.57	77.86	20	1A	12	
11	77.86	78.77	20	2	13	पवासा
12	78.77	79.86	20	1A	12	
13	79.86	80.34	20	2	13	दुटौटा
14	80.34	85.71	22	1A	12	
15	85.71	91.29	20	2	13	हयातनगर संभल
16	91.29	104.41	22	1A	12	
17	104.41	104.75	24	2	13	मिर्जापुर करावा
18	104.75	108.76	26	1A	12	
19	108.76	109.80	26	2	13	सैयद नागली
20	109.80	111.71	26	1A	12	
21	111.71	112.33	28	2	13	डक्का मोरे
22	112.33	114.41	26	1A	12	
23	114.41	115.42	26	2	13	उजहारी
24	115.42	120.23	26	1A	12	
25	120.75	124.06	28	1A	12	
26	124.06	125.07	22	2	13	हसनपुर
27	125.07	129.72	22	1A	12	
28	130.33	130.86	22	1A	12	
29	130.86	131.67	28	2	13	मनौता
30	131.67	136.67	28	1A	12	
31	136.67	137.53	28	3 (4 लेन)		गजरौला

0.6 पुनर्वास से जुड़े मुद्दे

शहरी/ग्रामीण इलाकों के लिए नियोजित बुनियादी ढांचे के सुधार मौजूदा राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) के भीतर ही होंगे, सिवा कुछ भीड़भाड़ भरी बस्तियों और सघनता से बने निर्मित क्षेत्रों को और कुछ ऐसे स्थानों को छोड़कर, जहां सड़क सुरक्षा उपायों को जगह देने के लिए छोटे-मोटे सुधार करने की आवश्यकता है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) चरण में सामाजिक छानबीन सर्वे किया गया और राइट ऑफ वे का राजस्व अभिलेखों के साथ सत्यापन किया गया। यह स्पष्ट था कि परियोजना सड़क के बहुतायत खंडों में सुविचारित डिजाइन मानकों को समायोजित/समाहित करने के लिए आरओडब्ल्यू काफी होगा। इसके अलावा यह भी चिन्हित किया गया कि आरओडब्ल्यू बाधाओं और रुकावटों से मुक्त नहीं है और खास तौर पर आबादियों और बाजारस्थलों के नजदीक कई स्थानों पर लोगों ने इसके ऊपर विभिन्न मकसदों से अतिक्रमण और कब्जा कर लिया है। पुलों के संपर्क मार्ग के लिए दो स्थानों पर 84 परिवारों की निजी भूमि के भूखंड अधिग्रहीत किए जाएंगे। इन परिणामों से निपटने और उबरने के लिए सामाजिक और पुनर्वास मुद्दों का प्रारंभिक अंदाजा हासिल करने की जरूरत है। जिन प्रमुख सामाजिक मुद्दों पर विचार किया गया, वे निम्नानुसार हैं :

- कृषि भूमि की हानि
- आवासीय, व्यावसायिक और अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जा रही इमारतों की हानि और आमदनी के स्रोतों पर असर पड़ने के कारण इन इमारतों से जुड़ी आजीविका की हानि;
- चारदिवारियों, हैंड पम्प, नल कूपों, कुओं, तालाबों आदि जैसी अन्य संपत्तियों और परिसंपत्तियों की हानि;

- आरओडब्ल्यू को साफ करने की वजह से, खास तौर पर पटरी वाले छोटे दुकानदारों को हटाए जाने के कारण होने वाली आजीविका की हानि;
- साझा संपत्ति संसाधनों जैसे धर्मस्थलों, जल संसाधनों, ग्रामीण दरवाजों, सवारी आश्रयों आदि की हानि।

0.7 परियोजना मार्ग के दायरे में भू उपयोग

प्रस्तावित परियोजना सड़क ऐसी आबादियों से होकर गुजरती है, जिनमें कुछ स्थायी, अर्ध-स्थायी और अस्थायी इमारतें बड़ी संख्या में पाई गई हैं। इनमें निजी, सरकारी और सामुदायिक परिसंपत्तियां शामिल हैं। इसका बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से कृषि भूमि है। हालांकि प्रस्तावित सड़क के साथ-साथ जो लोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सामान्य तौर पर उनके पास उस जमीन का स्वत्वाधिकार है। परियोजना हालांकि सड़क के उन्नयन के लिए कोई भूमि अधिग्रहण नहीं कर रही है और निर्माण गतिविधियां लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले राइट ऑफ वे तक ही सीमित रहेंगी। निजी जमीन पुलों के संपर्क मार्गों को चौड़ा करने के लिए अधिग्रहीत की जाएगी, जैसा कि अध्याय 0.21 में विस्तार से बताया गया है। परियोजना सड़क के खंडों के साथ लगे साझा संपत्ति संसाधनों (सीपीआर) में धार्मिक इमारतें, समुदाय, जल संसाधन आदि शामिल हैं। परियोजना समुदाय के साथ विचार-विमर्श करके प्रभावित सीपीआर को पुनर्स्थापित/पुनर्निर्मित करेगी। मौजूदा राइट ऑफ वे के भीतर स्थित बहुतायत अस्थायी ढांचे सड़क किनारे के व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। ये या तो कब्जाधारी या खोखा लगाने वाले (किओस्क मालिक) हैं, जो खाने की दुकान, तंबाकू विक्रेता, टी स्टॉल आदि जैसे छोटे-मोटे व्यवसायों में लगे अंत्यावसायी हैं। इन ढांचों के मालिक गरीबी की रेखा के नीचे समूह में आते हैं।

0.8 सामाजिक प्रभाव आकलन

परियोजना का सामाजिक प्रभाव आकलन परियोजना की तैयारी का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना केंद्रित आरएंडआर नीति और विश्व बैंक की नीति के तहत डिजाइन चरण के दौरान सामाजिक प्रभाव आकलन करना आवश्यक है, ताकि परियोजना के संभावित नकारात्मक प्रभावों से को टाला, घटाया और हल्का किया जा सके और सकारात्मक प्रभावों, स्थायित्व और विकासात्मक लाभों को बढ़ाया जा सके।

आकलन के परिणामों पर तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता विश्लेषण के साथ पुनर्बहाल की जाने वाली सड़कों के अंतिम चयन में विचार किया जाता है। ये आकलन इंजीनियरिंग डिजाइन में भी योगदान देते हैं और इनके परिणामस्वरूप परियोजना के क्रियान्वयन को और सड़क सुधारों से विस्थापित हो सकने वाले लोगों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास को अधिशासित करने वाली सामाजिक कार्य योजनाएं तैयार की जा पाती हैं।

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परियोजना लोगों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों का समाधान करे और आरएपी के क्रियान्वयन के बाद किसी भी व्यक्ति को बदतर हालत में न छोड़ दिया जाए और प्रभावित लोगों की परियोजना के निर्माण और साथ ही संचालन दोनों के दौरान परियोजना के लाभों तक पहुंच हो। अध्ययन के ठीक-ठीक उद्देश्य हैं :

- परियोजना के हितधारकों और परियोजना से जुड़े सामाजिक मुद्दों की पहचान के लिए सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक/सांस्थानिक विश्लेषण करना;
- भूमि अधिग्रहण/ विनियोजन और अन्य हानियों के परिमाण का आकलन और संभावित परियोजना प्रभावित लोगों की जनगणना का कार्य हाथ में लेना;
- प्रभावित लोगों और परियोजना प्राधिकारियों के साथ सलाह-मशविरा करके पुनर्स्थापन कार्य योजना (आरएपी) विकसित करना;
- सड़क के डिजाइन में लैंगिक मुद्दों की पहचान करना और लैंगिक कार्य योजना विकसित करना;
- बाहरी मजदूरों के बड़ी संख्या में आने के फलस्वरूप एचआईवी/एड्स की संभावित घटना की पहचान करना और उनके घटने की संभावना को कम करने की रणनीति विकसित करना; और

- सहभागितापूर्ण योजना निर्माण के लिए और प्रस्तावित मिटिगेशन योजना को क्रियान्वित करने के लिए एक परामर्श की रूपरेख विकसित करना।

परियोजना के सामाजिक प्रभावों और पुनर्स्थापन अवयव में परियोजना के सामाजिक प्रभावों का आकलन करना और आवश्यकतानुसार उपयुक्त मिटिगेशन योजनाएं बनाना शामिल है। इन योजनाओं को बनाते वक्त उपयुक्त राष्ट्रीय और स्थानीय कानूनों और मार्गदर्शिकाओं तथा विश्व बैंक के नीति निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य है। सामाजिक आकलन का निष्पादन पर्यावरण आकलन टीम और डिजाइन टीम के साथ घनिष्ठ समन्वय करते हुए किया जाना चाहिए और इसमें परियोजना के हितधारकों, स्थानीय समुदायों और संभावित रूप से प्रभावित समूहों के साथ विचार-विमर्श तथा सहभागिता भी शामिल है। सामाजिक प्रभाव आकलन और पुनर्स्थापन योजना निर्माण में नीचे लिखे तत्त्व हैं :

- परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) के अंग के रूप में सामाजिक छानबीन और संविक्षा;
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अंग के रूप में सामाजिक प्रभाव आकलन; संभावित रूप से प्रभावित आबादी की जनगणना और आधाररेखा सामाजिक-आर्थिक सर्वे;
- समयबद्ध पुनर्स्थापन कार्य योजना (आरएपी) की तैयारी;
- परियोजना, जिला और राज्य स्तर पर विचार-विमर्श;
- फॉलो-अप विचार-विमर्श (ड्राइंग या चित्रांकनों को अंतिम रूप देने के बाद किया जाना है); और
- सभी मार्गों की वीडियोग्राफी और स्थिर फोटोग्राफी।

सामाजिक संविक्षा या छानबीन का कार्य परियोजना आरंभ रिपोर्ट अथवा प्रोजेक्ट इंसेप्शन रिपोर्ट और परियोजना में शामिल की जाने वाली सड़कों के चयन के साथ-साथ हाथ में लिया गया। इसने इंजीनियरिंग डिजाइन में महत्त्वपूर्ण आगत अथवा इनपुट और मार्गदर्शन प्रदान किए।

परियोजना प्रभाव क्षेत्र के भीतर संभावित रूप से प्रभावित आबादी की स्थिति, उनकी परिसंपत्तियों और आजीविका के स्रोतों को दर्ज और प्रमाणबद्ध करने के लिए 30 मी. गलियारे में (अक्टूबर 2014 से नवंबर 2014) एक पूर्ण जनगणना का कार्य हाथ में लिया गया। 30 मी. गलियारे में आधाररेखा डेटा इकट्ठा किया गया, ताकि अधिक चौड़े गलियारे के संबंध में जानकारी एकत्र की जा सके, क्योंकि इससे चौड़ा करने के विकल्पों में से चुनने के लिए ज्यादा लचीलेपन की गुंजाइश होती है। जनगणना का डेटा गैर-स्वत्वाधिकार धारकों के लिए कट-ऑफ तारीख तय करने का आधार प्रदान करता है, ताकि उन लोगों का पता लगाया जा सके जो परियोजना से स्थान परिवर्तन के लिए सहायता और अन्य लाभों के हकदार हो सकते हैं।

जून, 2018 में संयुक्त साइट मीटिंग के दौरान एनजीओ कर्मचारियों और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ अद्यतन के आधार पर आरएपी तैयार किया गया है। वर्तमान अद्यतन पुनर्वास रिपोर्ट में डेटा अपडेट किया गया है।

जनगणना के आधार पर सामाजिक-आर्थिक सर्वे भी किया गया। यह सर्वे एक आधाररेखा प्रदान करता है, जिसके बरअक्स मिटिगेशन उपायों और सहायता को मापा जाएगा और जिसमें लोगों की परिसंपत्तियों, आमदनियों, महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक या धार्मिक नेटवर्क या स्थल और साझा संपत्ति संसाधनों जैसे सहारे के अन्य स्रोतों की विशद तहकीकात शामिल है। सर्वे के परिणामों के विश्लेषण में घर-परिवार के भीतरी सदस्यों सहित विभिन्न समूहों और व्यक्तियों की जरूरतों तथा संसाधनों और लैंगिक विश्लेषण को भी समाहित किया गया है।

परियोजना के लिए आवश्यक अतिरिक्त भूमि अनेक वर्गीकरणों में आती है :

- मौजूदा परियोजना के लिए राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) के रूप में राज्य सरकार के स्वामित्व वाली और पीडब्ल्यूडी द्वारा प्रशासित सार्वजनिक जमीन;
- सरकार के स्वामित्व वाली सार्वजनिक जमीन, जिसकी प्रशासनिक देखरेख सिंचाई या राजस्व जैसा कोई अन्य विभाग करता है; और
- निजी जमीन।

जैसा कि परियोजना को दो पुलों के स्थलों पर अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता होगी।

नीचे दी गई **तालिका 0.2** 30 मी. जनगणना और कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट के बीच प्रभावों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

तालिका 0.2: परियोजना का प्रभाव

30 मी.			सीओआई (मी. में)		
पीएपी की संख्या	पीएएच की संख्या	पीएएफ की संख्या	पीएपी की संख्या	पीएएच की संख्या	पीएएफ की संख्या
576	144	192	284	55	101

स्रोत: ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे 2018

प्रभावों के आगे के विश्लेषण और रिपोर्टिंग के लिए केवल कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट पर विचार किया गया है। इसलिए नीचे दी गई सभी तालिकाएं कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट के अनुरूप हैं।

तालिका 0.3: हानि के अनुसार परिवारों का वितरण

आवासीय	व्यावसायिक		आवासीय सह व्यावसायिक	कृषि भूमि	अन्य	चारदिवारी	योग
	इमारतें						
1	11	5	0	84	0	0	101

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे 2018

जैसा कि ऊपर दी गई **तालिका 0.3** से पता चलता है, प्रभाव कृषि भूमि पर अधिक है, जिसके बाद व्यावसायिक प्रतिष्ठान आते हैं, जो ज्यादातर निर्मित खंडों के मामलो में एकदम नजदीकी संपत्ति हैं।

0.9 कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट या प्रभाव का गलियारा

औसत रूप से कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट 25 मी. है और यह 12 मी. से 40 मी. के बीच अलग-अलग है। चौड़ा करने के कार्यक्रम के बारे में डिजाइन दल के साथ चर्चा की गई। उपलब्ध आरओडब्ल्यू 12 मी. से 40 मी. के बीच है।

तालिका 0.4: बदायूं-बिल्सी-बिजनौर खंड (एसएच-51) को चौड़ा करने का कार्यक्रम

क्रम संख्या	नई डिजाइन कड़ियां (कि.मी.)		लंबाई (कि.मी.)	क्रॉस सेक्शन का प्रकार	सड़क मार्ग की चौड़ाई	पेवमेंट
	प्रारंभ	खत्म				
1	58+400	59+331	0.931	1A	12	डीबीएम और बीसी के साथ ओवरले: 90मि.मी
2	59+331	59+820	0.489	2	13	
3	59+820	66+300	6.480	1A	12	
4	66+300	66+970	0.670	2	13	
5				एनएच खंड/दायरे में नहीं		
6	66+970	72+364	5.394	1A	12	
7	72+364	72+916	0.552	2	13	
8	72+916	76+164	3.248	1A	12	
9	76+164	76+566	0.402	2	13	
10	76+566	77+864	1.298	1A	12	
11	77+864	78+766	0.902	2	13	
12	78+766	79+864	1.098	1A	12	
13	79+864	80+336	0.472	2	13	
14	80+336	85+714	5.378	1A	12	
15	85+714	91+286	5.572	2	13	
16	91+286	104+410	13.124	1A	12	
17	104+410	104+750	0.340	2	13	

क्रम संख्या	नई डिजाइन कड़ियां (कि.मी.)		लंबाई (कि.मी.)	क्रॉस सेक्शन का प्रकार	सड़क मार्ग की चौड़ाई	पेवमेंट
	प्रारंभ	खत्म				
18	104+750	108+764	4.014	1A	12	
19	108+764	109+796	1.032	2	13	
20	109+796	111+714	1.918	1A	12	
21	111+714	112+326	0.612	2	13	
22	112+326	114+414	2.088	1A	12	
23	114+414	115+416	1.002	2	13	
24	115+416	120+225	4.809	1A	12	
25	120+225	120+750	0.525	1B	12	
26	120+750	124+064	3.314	1A	12	
27	124+064	125+066	1.002	2	13	
28	125+066	129+715	4.649	1A	12	
29	129+715	130+330	0.615	1B	12	
30	130+330	130+864	0.534	1A	12	
31	130+864	131+666	0.802	2	13	
32	131+666	136+666	5.000	1A	12	
33	136+666	137+525	0.859	3(4 लेन)		
कुल लंबाई			**79.13**			

स्रोत: डिजाइन रिपोर्ट

तालिका 0.5: हानि के प्रकार के अनुसार परियोजना प्रभावित घर-परिवारों का वितरण

आवासीय	व्यावसायिक		आवासीय सह व्यावसायिक	कृषि भूमि	अन्य	चारदीवारी	योग
	संरचनाएं	किओस्क या खोखे					
1	6	3	0	45	0	0	55
2%	11%	5%	0%	82%	0%	0%	100%

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे 2018

जैसा कि ऊपर की **तालिका 0.5** से पता चलता है, प्रभाव कृषि भूमि पर ज्यादा 83 प्रतिशत है।

आरएपी तैयार करने का काम परियोजना के सामाजिक आकलन अवयव के भीतर ही हाथ में लिया गया। आरएपी की एक प्रमुख पूर्व आवश्यकता यह है कि एक ऐसी नीतिगत रूपरेखा होनी चाहिए जिसमें प्रभावों की श्रेणियां और उसके अनुरूप उनकी पात्रताएं और अधिकार स्पष्ट हों। परियोजना केंद्रित आर एंड आर नीति तैयार की गई और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 19 अगस्त 2014 के पत्र संख्या 1195(1)/23-12-14 के माध्यम से उस पर अपनी सहमति प्रदान की। आरएपी प्रभाव श्रेणियों के अनुसार प्रभावित घर-परिवारों और परिवारों की संख्या प्रदान करती है और साथ ही विस्तृत मार्गदर्शन भी प्रदान करती है कि नीति रूपरेखा के प्रावधानों को किस प्रकार लागू किया जाए। इनमें सांस्थानिक व्यवस्थाएं और बजट भी शामिल हैं, जो परियोजना प्रभावित लोगों की गिनती और रूपरेखा के तहत पात्रता पर आधारित हैं।

इस आरपीए को तैयार करने के लिए किए गए विस्तृत अध्ययनों से सड़क किनारे के इलाकों में व्यापक दखल और कब्जे का पता चलता है, जिनमें सघन बसे हुए गांव और शहरी समुदाय शामिल हैं और जहां बड़े पैमाने पर आवासीय और व्यावसायिक इमारतें, व्यवसाय और जन सुविधाएं बनी हुई हैं। सड़क को चौड़ा करने तथा अन्य प्रस्तावित सुधारों का प्रभाव सड़क किनारे के आवासों, व्यवसायों, धर्म स्थलों तथा इमारतों, कृषि भूमि या खेतों, सार्वजनिक इमारतों और बुनियादी ढांचे पर पड़ेगा।

पुनर्स्थापन की जरूरत केवल वहां पड़ेगी, जहां आवासीय और आवासीय/व्यावसायिक इमारतों को या तो पूरी तरह गिराना ही होगा या उन्हें इस तरह लेना होगा जिससे वे रहने के लिए अयोग्य या अनुपयोगी हो जाएंगी। इन इमारतों से विस्थापित हुए निवासियों को पुनर्स्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार प्रभावित व्यवसायों और अन्य सार्वजनिक तथा धार्मिक भवनों और संरचनाओं को दूसरे स्थानों पर बसाना जाएगा। पुनर्वास की आवश्यकता वहां होगी, जहां पुनर्स्थापन, स्थान परिवर्तन

या परियोजना के अन्य प्रभावों के परिणामस्वरूप आजीविका या आमदनी की हानि होती है। इन मामलों में प्रभावित व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को कम से कम परियोजना-पूर्व स्तरों तक बहाल करना जरूरी होगा।

ज्यादातर मामलों में परियोजना के लिए न तो पूरी तरह गिराने की जरूरत होगी और न ही आवासीय या व्यावसायिक संरचनाओं को इस हद तक लेने की जरूरत होगी कि जिससे पुनर्स्थापन या स्थान परिवर्तन आवश्यक हो जाए। सामान्य तौर पर केवल कई मीटर या उससे कम की एक संकरी अग्रभाग की पट्टी प्रभावित होगी। प्रायः इसका अर्थ यह है कि केवल अहाते की दीवार या बाड़ों, प्रांगण को ही अनिवार्यतः हटाना पड़ेगा। कुछ मामलों में सड़क किनारे के आशियानों और व्यवसायों के छोटे-से हिस्सों को ही लिया जाएगा। केवल बहुत दुर्लभ तौर पर ही पूरे के पूरे आवासीय या व्यावसायिक भवनों को लेने की जरूरत पड़ेगी। खोखों या किओस्क को सीओआई से बाहर ले जाना पड़ेगा, हालांकि वे आरओडब्ल्यू के भीतर बने रह सकते हैं। इस गलियारे के लिए राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) 18 मी. से 40 मी. के बीच है। सड़क की डिजाइन चौड़ाई 20 मी. से ज्यादा नहीं होगी और यह उपलब्ध आरओडब्ल्यू के पूर्णतः भीतर ही होगी।

0.10 कट ऑफ तारीख

जनगणना सर्वे के पूरा होने की तारीख को कट-ऑफ तारीख माना जाएगा और इसलिए जनगणना के दौरान जिन लोगों का सर्वे नहीं किया गया है, उन्हें पीएपी नहीं माना जाएगा। कट-ऑफ तारीख का उपयोग यह स्थापित करने के लिए किया जाएगा कि गलियारे में अवस्थित एक व्यक्ति परियोजना के विभिन्न चरणों के क्रियान्वयन के दौरान पीएपी होने का पात्र है या नहीं। हालांकि एक व्यक्ति, जो जनगणना के दौरान नहीं गिना गया है, लेकिन जनगणना सर्वे के दौरान परियोजना गलियारे में अपना रहना साबित करने में सक्षम है, तो उसे हकदार माना जाएगा। जनगणना सर्वे अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2014 के बीच में किया गया और इसलिए इस गलियारे के लिए दिसंबर 2014 को कट ऑफ तारीख माना गया था। अद्यतन आरएपी के आधार पर जून 2018 कट ऑफ तारीख माना गया है स्वत्वाधिकार धारकों के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख कट ऑफ तारीफ होगी।

तालिका 0.6 : कट ऑफ तारीख

मार्ग संख्या	मार्ग का नाम	प्रारंभ माह	समापन माह
एसएच- 51	बदायूं-बिल्सी-बिजनौर 58+000 कि.मी. से 137+750 कि.मी.)	मई 2018	जून 2018

तालिका 0.7: स्वामित्व की स्थिति के अनुसार परियोजना प्रभावित घर-परिवारों का वितरण

	स्वामित्व की स्थिति				
कब्जाधारी	अतिक्रमणकारी	खोख या किओस्क	टीएच स्वत्वाधिकार धारी	किरायेदार	योग
6	1	3	45	0	55
11%	2%	5%	82%	0%	100%

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे 2018

जैसा कि पुल स्थल पर दो स्थानों पर भूमि अधिग्रहण है, 82% प्रभावित घर-परिवार स्वत्वाधिकार धारकों में आते हैं। स्वामित्व की स्थिति यह भी दर्शाती है कि 11% कब्जाधारी है। कब्जाधारियों के अलावा, 5% खोखों या किओस्क के मालिक हैं और अतिक्रमणकारी 1% हैं। परियोजना की आरएंडआर नीति के अनुसार, कमजोर या वध्य अतिक्रमणकारियों को जमीन या की क्षतिपूर्ति या मुआवजे की तौर पर विस्थापन लागतों पर नकद सहायता दी जाएगी, जिसका निर्धारण आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की धारा 26 के तहत दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा; गुजारा भत्ते की तौर पर एकमुश्त 36,000 रुपये की आर्थिक सहायता; स्थान परिवर्तन भत्ते की तौर पर प्रति परिवार स्थायी संरचना के लिए 50,000 रुपये, अर्ध-स्थायी संरचना के लिए 30,000 रुपये और अस्थायी संरचना के लिए 10,000 रुपये

एकमुश्त आर्थिक सहायता; और प्रत्येक ऐसे प्रभावित व्यक्ति को, जो ग्रामीण दस्तकार, छोटा व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति है, कामचलाऊ शेड या दुकान बनाने के लिए 25,000 रुपये की सहायता। किओस्क या खोखों के मामले में एकमुश्त नकद सहायता की तौर पर केवल 5,000 रुपये दिए जाएंगे। परियोजना की आर एंड आर नीति के अनुसार, स्वत्वाधिकार धारकों को भूमि के बदले भूमि, यदि उपलब्ध हो, या विस्थापन मूल्य पर भूमि के लिए नकद मुआवजा या क्षतिपूर्ति, जो आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की धारा 26 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारिक की जाएगी।

तालिका 0.8: श्रेणी के अनुसार सामुदायिक संपत्तियों का वितरण

मंदिर/ धर्मस्थल/चबूतरा	मस्जिद गेट / दुकानें	कुएं	चारदीवारी	योग
13	1	0	6	20

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे 2018

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से पता चलता है, कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट के भीतर कुल 20 सामुदायिक संपत्तियां हैं, जिनमें से 6 चारदीवारी और1 मस्जिद गेट / दुकानें हैं और 13 सांस्कृतिक संपत्तियां हैं।

0.11 जनगणना और आधाररेखा सामाजिक-आर्थिक डेटा का विश्लेषण

परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) की जनगणना के साथ ही एक विस्तृत सामाजिक-आर्थिक सर्वे किया गया, ताकि प्रभावित परियोजना क्षेत्र की प्रोफाइल और एक आधाररेखा तैयार की जा सके, जिसके विरुद्ध मिटिगेशन उपायों और सहायता को मापा जाएगा। इस मकसद से लोगों की परिसंपत्तियों, आमदनी, सामाजिक-सांस्कृतिक और जनसंख्यात्मक संकेतकों, धार्मिक संरचनाओं तथा साझा संपत्ति स्रोतों जैसे अन्य सहायता स्रोतों के बारे में विस्तृत जानकारियां एकत्र की गईं। इस विश्लेषण में घर-परिवारों के आंतरिक विश्लेषण और लैंगिक विश्लेषण सहित विभिन्न समूहों और व्यक्तियों की जरूरतों और संसाधनों को शामिल किया गया। यह विश्लेषण परियोजना में निर्दिष्ट पात्रता के लिए कट-ऑफ तारीख पर आधारित है (गैर-स्वत्वाधिकार धारक के लिए कट-ऑफ तारीख जनगणना की प्रारंभ तारीख है)।

तालिका 0.9 : प्रभावित और विस्थापित परिवारों का वितरण

पीएपी की संख्या	पीएएच की संख्या	पीएएफ की संख्या	पीडीएफ की संख्या
284	55	101	16

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे 2018

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दिखाया गया है, प्रस्तावित सड़क उन्नयन की वजह से कुल 55 घर-परिवार (101 परिवार) प्रभावित होंगे, जिनके नतीजतन 284 व्यक्तियों पर असर पड़ेगा।

तालिका 0.10 : प्रभाव के प्रकार के अनुसार पीएएफ और पीडीएफ का वितरण

प्रभाव का प्रकार	हानि का प्रकार							
	आवासीय	व्यावसायिक	खोखे	आवा.+ व्यावसा.	कृषि भूमि	अन्य	चा. दि.	योग
Displaced	0	11	5	0	0	0	0	16
PAF	1	11	5	0	84	0	0	101

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे 2018

नोट: आंशिक : 10% से कम हानि; प्रतिकूल : 10 to 25% के बीच हानि; विस्थापित : 25% से ज्यादा हानि।

अनुमानित रूप से कुल प्रभावित परिवारों में 15.8% या तो आवासीय संपत्ति या फिर व्यावसायिक संपत्ति/खोखों की हानि की वजह से विस्थापित होंगे। ये केवल कब्जाधारी और खोखे ही हैं जो विस्थापित होंगे।

तालिका 0.11: कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट की जनसांख्यिकी

जनसांख्यिकी/सामाजिक															
लैंगिक प्रकार के अनुसार पीएपी का वितरण			परिवार के प्रकार के अनुसार परिवारों का वितरण				धार्मिक समूहों के अनुसार परिवारों का वितरण				सामाजिक स्तरीकरण के अनुसार पीएपी का वितरण				
पुरुष	महिला	योग	एकल	संयुक्त	विस्तारित	योग	हिंदू	मुस्लिम	अन्य	योग	एससी	एसटी	ओबीसी	सामान्य	योग
155	129	284	192	67	25	284	38	63	0	101	2	0	78	21	101

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे 2018

तालिका 0.12: कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट में सामाजिक विशेषताएं

वैवाहिक स्थिति के अनुसार पीएपी का वितरण							आयु समूह के अनुसार पीएपी का वितरण						
विवाहित	अविवाहित	तलाकशुदा	अलग हुए	विधवा	योग	0 से 6 साल	7 से 15 साल	16-18	19-21	22-35	36–58	59 और अधिक	योग
118	152	2	2	10	284	35	67	22	14	66	62	18	284

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे 2018

जनगणना सर्वे के दौरान प्रत्येक व्यक्ति की लैंगिक पहचान भी दर्ज की गई क्योंकि इससे आरएंडआर नीति के अनुसार परिवार की तथा वध्य या कमजोर श्रेणी की पहचान करने में मदद मिलती है। जैसा कि उपरोक्त तालिका 0.11 से पता चलता है, लगभग 58 फीसदी पीएपी पुरुष और 42 फीसदी महिला हैं। बहुतायत परिवार (68 प्रतिशत) एकल स्वरूप के हैं। करीब 38 फीसदी पीएपी हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। जाति विन्यास से पता चलता है कि 77 फीसदी पीएपी अन्य पिछड़ी जातियों के हैं और 21 फीसदी सामान्य या सवर्ण जातियों से आते हैं और कुल प्रभावित परिवारों के केवल 2 फीसदी अनुसूचित जाति परिवार हैं।

उत्तरप्रदेश राज्य सड़क परियोजना की आरएंडआर नीति के अनुसार प्रभावित परिवारों की पहचान स्थापित करने के लिए पीएपी की और ज्यादा खास तौर पर महिला पीएपी की वैवाहिक स्थिति दर्ज की गई। सर्वे के परिणामों के मुताबिक अविवाहित पीएपी की संख्या विवाहित पीएपी से ज्यादा है। तलाकशुदा, अलग हुए, विधवा और परित्यक्त व्यक्तियों के डेटा का खास तौर पर विश्लेषण किया गया, क्योंकि आरएंडआर नीति के अनुसार ये सभी अलग हुए परिवारों के व्यक्ति हैं और इन नाते आरएंडआर सहायता के हकदार हैं। पीएपी की वैवाहिक स्थिति दर्शाती है कि 41.18 फीसदी विवाहित हैं। करीब 3 फीसदी पीएपी विधवा हैं और 0.36 प्रतिशत अलग हो चुके या 0.36 प्रतिशत तलाकशुदा पाए गए हैं।

आयु समूह वर्गीकरण : आरएंडआर नीति के अनुसार, 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी पुरुष/महिलाएं, उनकी वैवाहिक स्थिति जो भी हो, पृथक परिवार आयु समूह वर्गीकरण में माने जाएंगे। इससे भी आश्रित और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर आबादी के आकलन में मदद मिलती है।

जैसा कि आयु वर्ग की तालिका से पता चलता है, पांच में से करीब तीन हिस्सा आबादी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर आयु समूह 19 से 58 साल के भीतर आती है। लगभग 3 फीसदी जनसंख्या स्कूल जाने की उम्र के तहत आती है और करीब 11 प्रतिशत 59 साल से ऊपर के आयु समूह में हैं।

तालिका 0.13: साक्षरता स्तर के अनुसार पीएपी का वितरण

साक्षरता स्तर के अनुसार पीएपी का वितरण								
साक्षर	प्राथमिक	अपर प्राथमिक	सेकेंडरी	इंटरमीडिएट	स्नातक	तकनीकी	अन्य	योग
84	94	53	23	19	5	3	3	284
30%	33%	19%	8%	7%	1%	1%	1%	100%

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे 2018

साक्षरता स्तर किसी भी क्षेत्र/भूभाग के विकास की स्थिति का आकलन करने के लिए एक ऐसा संकेतक है, जिसका परिमाण निर्धारित किया जा सकता है। जितनी अधिक साक्षरता की दर होगी, उतना ही अधिक विकसित वह इलाका होगा। दूसरे, लोगों को विस्थापित करने वाली एक विकास परियोजना में पीएपी के साक्षरता स्तर के डेटा से वैकल्पिक आमदनी बहाल करने की योजनाएं बनाने में मदद मिलती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जनगणना सर्वे के दौरान पीएपी का साक्षरता स्तर दर्ज किया गया था।

साक्षरता स्तर दर्ज करने के लिए शिक्षा के पूर्ण किए गए वर्षों को लिया गया। उदाहरण के लिए, एक उत्तरदाता जो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका, उसे मध्यम साक्षर माना गया। इसी प्रकार जो उत्तरदाता 12वीं कक्षा के स्तर को उत्तीर्ण करने में नाकाम रहा, उसे सेकेंडरी साक्षर माना गया। हालांकि वे लोग जो स्कूल तो गए लेकिन 5वीं कक्षा का स्तर भी उत्तीर्ण नहीं कर सके, उन्हें प्राथमिक स्तर का ही साक्षर माना गया। पीएपी की साक्षरता दर काफी ऊंची है। करीब 30 फीसदी पीएपी निरक्षर पाए गए। यहां तक कि साक्षर पीएपी में भी 52 फीसदी पीएपी प्राथमिक स्तर तक साक्षर हैं। कुल आबादी के केवल 2 प्रतिशत पीएपी स्नातक और उससे ऊपर तक पढ़े हैं। 1 फीसदी के आसपास पीएपी ने किसी न किसी प्रकार की तकनीकी साक्षरता हासिल की है।

तालिका 0.14: हानि के प्रकार के अनुसार परिवारों का वितरण

आवासीय	व्यावसायिक		आवासीय सह व्यावसायिक	कृषि भूमि	अन्य	चारदीवारी	योग
	संरचनाएं	खोखे					
4	7	4	2	84	0	0	101

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे 2018

जैसा कि ऊपर की **तालिका 0.14** से पता चलता है, प्रभाव कृषि भूमि पर अधिक 84 प्रतिशत है, जिसके बाद वे व्यावसायिक प्रतिष्ठान आते हैं, जो ज्यादातर मामलों में निर्मित खंड़ों में निकटतम संपत्ति हैं। कुल 101 प्रभावित परिवारों में से करीब 4 फीसदी आवासीय और केवल 7 फीसदी व्यावसायिक हैं, जबकि 4 फीसदी खोखे या किओस्क से हैं। अन्य 2 प्रतिशत परिवार आवासीय सह व्यावसायिक संरचनाओं की हानि के कारण प्रभावित हुए हैं। प्रभावित व्यावसायिक संरचनाओं में 7 परिवार कब्जाधारी और किओस्क या खोखे उन लोगों के हैं जो विस्थापित होंगे।

तालिका 0.15: कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट में घर-परिवारों का वध्यता स्तर

घर-परिवारों का वध्यता स्तर			
जाति	जाति	जाति	जाति
32	3	7	42

महिला प्रधान घर-परिवारों (डब्ल्यूएचएच) की स्थिति			
पीडीएफ	पीएएफ	पीडीएच	पीएपी
0	14	7	32

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे 2018

तालिका 0.16: स्वामित्व की स्थिति के अनुसार परियोजना प्रभावित घर-परिवारों का वितरण

	स्वामित्व की स्थिति				
कब्जाधारी	अतिक्रमणकारी	किओस्क या खोखे	टीएच (स्वत्वाधिकार धारक)	किरायेदार	योग
6 (11%)	1(2%)	3 (5%)	45 (82%)	0(0%)	55(100%)

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे 2018

सर्वे के परिणाम बताते हैं कि 101 परिवारों में से 42 कमजोर या वध्य हैं। कमजोर परिवारों में 76 फीसदी सामाजिक रूप से वध्य या कमजोर हैं और शेष 24 फीसदी आर्थिक रूप से कमजोर हैं। स्वामित्व की स्थिति से पता चलता है कि 11 फीसदी से ज्यादा कब्जाधारी हैं। कब्जाधारियों के अलावा, 3 फीसदी खोखे या किओस्क के मालिक हैं और 1 फीसदी अतिक्रमणकारी हैं।

परियोजना की आरएंडआर नीति के अनुसार, कमजोर अतिक्रमणकारियों को संरचना की हानि के एवज में विस्थापन लागतों पर नकद सहायता दी जाएगी; गुजारा भत्ते की तौर पर एकमुश्त 36,000 रुपये की आर्थिक सहायता; स्थान परिवर्तन भत्ते की तौर पर प्रति परिवार स्थायी संरचना के लिए 50,000 रुपये, अर्ध-स्थायी संरचना के लिए 30,000 रुपये और अस्थायी संरचना के लिए 10,000 रुपये एकमुश्त आर्थिक सहायता; और प्रत्येक ऐसे प्रभावित व्यक्ति को, जो ग्रामीण दस्तकार, छोटा व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति है, कामचलाऊ शेड या दुकान बनाने के लिए 25,000 रुपये की सहायता। किओस्क या खोखों के मामले में एकमुश्त नकद सहायता की तौर पर केवल 5,000 रुपये दिए जाएंगे। परियोजना की आरएंडआर नीति के अनुसार, स्वत्वाधिकार धारकों को भूमि के बदले भूमि, यदि उपलब्ध हो, या भूमि के लिए विस्थापन मूल्यपर नकद क्षतिपूर्ति या मुआवजा, जो आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की धारा 26 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

0.12 साक्षरता स्तर

साक्षरता स्तर किसी भी क्षेत्र/भूभाग के विकास की स्थिति का आकलन करने के लिए एक ऐसा संकेतक है, जिसका परिमाण निर्धारित किया जा सकता है। जितनी अधिक साक्षरता की दर होगी, उतना ही अधिक विकसित वह इलाका होगा। दूसरे, लोगों को विस्थापित करने वाली एक विकास परियोजना में पीएपी के साक्षरता स्तर के डेटा से वैकल्पिक आमदनी बहाल करने की योजनाएं बनाने में मदद मिलती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जनगणना सर्वे के दौरान पीएपी का साक्षरता स्तर दर्ज किया गया था।

साक्षरता स्तर दर्ज करने के लिए शिक्षा के पूर्ण किए गए वर्षों को लिया गया। उदाहरण के लिए, एक उत्तरदाता जो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका, उसे मध्यम साक्षर माना गया। इसी प्रकार जो उत्तरदाता 12वीं कक्षा के स्तर को उत्तीर्ण करने में नाकाम रहा, उसे सेकेंडरी साक्षर माना गया। हालांकि वे लोग जो स्कूल तो गए लेकिन 5वीं कक्षा का स्तर भी उत्तीर्ण नहीं कर सके, उन्हें प्राथमिक स्तर का ही साक्षर माना गया।

0.13 प्रभावित परिवारों का संसाधन आधार

नीचे प्रस्तुत जानकारी दोनों जनगणनाओं और साथ ही सामाजिक-आर्थिक सर्वे के नमूने के माध्यम से इकट्ठा की गई है। सर्वे के दौरान जिन आर्थिक संकेतकों पर विचार किया गया, वे थे सामान्य गतिविधि, पेशेगत पैटर्न, घर-परिवार की औसत आय और व्यय, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या, परिसंपत्ति का धारण आदि।

तालिका 0.17: संसाधन आधार

परिवारों का सूची में नाम लिखना		परिवारों के स्वामित्व वाली सुविधाएं	
राशन कार्ड धारी परिवारों की संख्या	92	बिजली सुविधा प्राप्त परिवारों की संख्या	64
मतदाता पहचान पत्र धारी परिवारों का संख्या	74	बिजली सुविधा प्राप्त दुकानों की संख्या	1
कानूनी दस्तावेजों से लैस परिवार	90	नल के कनेक्शन वाले परिवारों की संख्या	0
		नल के कनेक्शन वाली दुकानों की संख्या	0

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे 2018

जैसा कि ऊपर की तालिका दर्शाती है, 101 परिवारों में से 92 के पास राशन कार्ड है और 90 घर-परिवारों के पास संपत्ति के कानूनी दस्तावेज भी हैं। तकरीबन 74 के पास मतदाता पहचान पत्र हैं। 101 में 64 परिवारों के पास बिजली का कनेक्शन है, जबकि महज किसी भी परिवार के पास नल का कनेक्शन नहीं है। एक दुकान पर बिजली का कनेक्शन है, लेकिन किसी दुकान में नल का कनेक्शन नहीं है।

तालिका 0.18: संरचनाओं की निर्माण टाइपोलॉजी

स्थायी	अर्ध-स्थायी	अस्थायी	योग
2	0	8	10

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे 2018

जैसा कि ऊपर की तालिका दर्शाती है, प्रभावित संरचनाओं में से बहुतायत संरचनाओं (करीब 80 प्रतिशत) की निर्माण टाइपोलॉजी अस्थायी है, क्योंकि उनमें से ज्यादातर सड़क किनारे लगाए गए या तो किओस्क या खोखे हैं या छोटी खाने-पीने की दुकानें।

0.14 सामान्य गतिविधि

सामान्य गतिविधि दर्ज करना बेहद जरूरी है ताकि इस बात का आकलन किया जा सके कि पीएपी को लाभदायक ढंग से रोजगार प्राप्त हुआ है या नहीं। जैसा कि तालिका 0.19 दर्शाती है, कुल पीएपी के एक चौथाई किसी न किसी प्रकार की आर्थिक रूप से लाभदायक गतिविधि में लगे हुए हैं और इसलिए कामगार की श्रेणी में आते हैं।

तालिका 0.19: सामान्य गतिविधि

पेशा या व्यवसाय							
श्रमिक	गैर श्रमिक	मुख्य श्रमिक	प्रवासी श्रमिक	घरेलू श्रमिक	विद्यार्थी	गैर-स्कूल जाने वाली उम्र के बच्चे (0 से 5 साल)	अन्य
78	18	3	5	65	87	28	0

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे 2018

0.15 पेशेगत पैटर्न

पीएपी के पेशेगत पैटर्न उनके कौशल या हुनर का आकलन करने के लिए दर्ज किए जाते हैं, ताकि उन्हें आय उत्पत्ति की वैकल्पिक योजना के लिए उसी पेशे का प्रशिक्षण मुहैया करवाया जा सके। दूसरे, पेशेगत पैटर्न उस इलाके की प्रधान आर्थिक गतिविधि की पहचान करने में मदद करता है।

जैसा कि सर्वे के परिणामों से पता चलता है, सड़क के साथ-साथ उसके किनारे बसे पीएपी में सबसे आम पेशा व्यापार और व्यवसाय (प्राथमिक तौर पर छोटी-मोटी दुकानें) है। करीब 15 फीसदी पीएपी व्यापार और व्यवसाय में लगे हुए हैं और 58 प्रतिशत कृषिकर्मी हैं।

0.16 घर-परिवारों का औसत वार्षिक आय और व्यय

तालिका 0.20: आय के स्तर के अनुसार घर-परिवारों का वितरण

1000 - 5000	5001 -10000	10001 -15000	15001 -20000	Total
41	11	2	1	55

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे 2018

सालाना आय से गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करने में मदद मिलती है। सर्वे के दौरान एक घर-परिवार की सभी संभव स्रोतों से आय दर्ज की गई। इसके अनुसार, जैसा कि ऊपर की तालिका दर्शाती है, घर-परिवार की

औसत मासिक आमदनी 4922 रुपये है। घर-परिवार की आय की गणना करने के लिए सर्वे के दौरान आय के विभिन्न स्रोत पूछे गए, जिनमें शामिल हैं कृषि; संबद्ध कृषि गतिविधियां; खेतिहर मजदूरी; गैर-खेतिहर मजदूरी; घर-परिवार के उद्यम; सेवाएं; व्यापार और व्यवसाय; पेशा आदि। इन स्रोतों से होने वाली आमदनी को जोड़ा गया और भारित औसत निकाला गया ताकि औसत वार्षिक आय का आंकड़ा प्राप्त किया जा सके।

तालिका 0.21: आय के प्राथमिक स्रोत के अनुसार घर-परिवारों का वितरण

स्रोत	एचएच की संख्या	योग का %
खेती किसानी	40	58
छोटे-मोटे व्यापार और व्यवसाय	10	15
खेतिहर मजदूरी	4	6
गैर-खेतिहर मजदूरी	0	0
दिहाड़ी मजदूर	6	9
वेतनभोगी	6	9
अन्य	2	3
योग	**68**	**100**

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे 2018

औसत मासिक व्यय 4725 रुपये है। यह आमदनी से थोड़ा-सा कम है और यह भी एक कारण है कि पीएपी के पास कुछ किस्म की बचत हैं। सर्वे के दौरान खर्च या व्यय की विभिन्न मदों के बारे में पूछा गया, जिनमें शामिल हैं खाना; कपड़े; स्वास्थ्य; शिक्षा; संचार; सामाजिक समारोह आदि। आमदनी की तरह प्रति परिवार औसत व्यय की गणना करने के लिए प्रत्येक मद में किए गए खर्चों को जोड़ा गया और उनके भारित औसत के आधार पर औसत वार्षिक परिव्यय निकाला गया।

0.17 परियोजना केंद्रित पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आर एंड आर) नीति

यह नीति उत्तर प्रदेश सरकार के परवर्ती आदेशों और अनिच्छुक पुनर्स्थापन पर विश्व बैंक की संचालनगत नीति 4.12 के अधीन भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 पर आधारित है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर रोड नेटवर्क में सुधार की योजनाएं बनाई हैं। इनका लक्ष्य और उद्देश्य राज्य के सड़क यातायात नेटवर्क को उन्नत और सुदृढ़ बनाना है।

सड़क उन्नयन के सकारात्मक पहलुओं के अलावा परियोजना की वजह से भूमि, इमारतों या संरचनाओं, अन्य अचल संपत्तियों और आजीविका के विभिन्न स्रोतों की हानि हो सकती है। यह दस्तावेज परियोजना की वजह से उत्पन्न होने वाले नकारात्मक सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को न्यूनतम करने और उनकी गंभीरता का शमन करने के लिए अपनाए और अनुपालन किए जाने वाले सिद्धांतों और तरीकों का वर्णन करता है, ताकि प्रभावित हुए लोग अपना जीवन स्तर बहाल और बेहतर बनाने में समर्थ हो सकें।

क्र.सं.	विनियोग	पात्र इकाई की परिभाषा	पात्रता	विवरण
A. निजी कृषि भूमि, वास भूमि और व्यावसायिक भूमि की हानि				
1	कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट (सीओआई) के भीतर की भूमि	स्वत्वाधिकार धारी परिवार, और पारंपरिक भूमि अधिकार वाले परिवार	बाजार मूल्य पर मुआवजा, पुनर्स्थापन और पुनर्वास	a) जमीन के बदले जमीन यदि उपलब्ध हो। या जमीन के लिए बाजार मूल्य पर नकद मुआवजा, जो आरएफसीटीएलएआरआर कानून 2013 की धारा 26 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। b) यदि जमीन आवंटित की जाती है तो वह पति और पत्नी दोनों के नाम पर होगी। c) यदि अधिग्रहण के बाद बची हुई अवशेष जमीन आर्थिक रूप से अव्यवहार्य है, तो जमीन मालिक के पास विकल्प होगा कि वह उस बची हुई जमीन को या तो रखे या बेच दे। d) स्थानापन्न या एवजी जमीन पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी और

क्र.सं.	विनियोग	पात्र इकाई की परिभाषा	पात्रता	विवरण
				रजिस्ट्रेशन शुल्क की धनवापसी परियोजना द्वारा की जाएगी; परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजे के भुगतान की तारीख से एक साल के भीतर स्थानापन्न जमीन अवश्य खरीद ली जानी चाहिए। e) एकमुश्त आर्थिक सहायता की तौर पर 36,000 रुपये का गुजारा भत्ता। f) 5,00,000 रुपये की एकमुश्त सहायता या वार्षिक भत्ता (एन्युइटी)। g) फसलों की हानि यदि हो तो उसके लिए बाजार मूल्य पर मुआवजा।
B. निजी संरचनाओं (आवासीय/व्यावसायिक) की हानि B. निजी संरचनाओं (आवासीय/व्यावसायिक) की हानि				
2	कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट (सीओआई) के भीतर की संरचनाएं	स्वत्वाधिकार धारक/स्वामी	बाजार मूल्य पर मुआवजा, पुनर्स्थापन और पुनर्वास सहायता	a) इमारत के लिए बाजार मूल्य पर नकद मुआवजा जो आरएफसीटीएलएआरआर कानून 2013 की धारा 29 के अनुसार निर्धारित होगा। ग्रामीण इलाके में इंदिरा आवास योजना के तहत मकान या उसके एवज में 50,000 रुपये और शहरी इलाके में आरएव्हाय के तहत मकान या उसके एवज में 1,00,000 रुपये। मकान यदि आवंटित किया जाता है तो वह पति और पत्नी दोनों के नाम पर होगा। b) ढहाई गई इमारत से सामग्री बचाने का अधिकार। c) इमारत खाली करने के लिए तीन महीने का नोटिस। d) बाजार मूल्य की प्रचलित दरों पर नए वैकल्पिक मकानों/दुकानों की खरीद के लिए स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्कों की धन-वापसी, जैसा कि उपरोक्त (a) में निर्धारित किया गया है। वैकल्पिक मकान/दुकान मुआवजे के भुगतान की तारीख से एक वर्ष के भीतर अवश्य खरीद लिए जाने चाहिए। e) यदि इमारत आंशिक रूप से प्रभावित हुई है और बची हुई इमारत व्यवहार्य बनी रहती है, तो ऐसे मामले में इमारत की बहाली के लिए अतिरिक्त 10 प्रतिशत। यदि इमारत आंशिक रूप से प्रभावित हुई है और बची हुई इमारत अव्यवहार्य हो जाती है तो ऐसे मामले में मुआवजे की धनराशि का अतिरिक्त 25 प्रतिशत पृथक्करण भत्ते की तौर पर। f) एकमुश्त आर्थिक सहायता की तौर पर 36,000 रुपये के समतुल्य धनराशि का गुजारा भत्ता। G) विस्थापित होने वाले प्रत्येक प्रभावित परिवार को स्थान परिवर्तन भत्ते की तौर पर 50,000 रुपये की एक मुश्त आर्थिक सहायता मिलेगी। h) प्रत्येक प्रभावित परिवार को, जो विस्थापित हुआ है और जिसके पास पशु हैं, पशु शेड का निर्माण करवाने के लिए 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। i) पुनर्स्थापन सहायता की तौर पर 50,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान। j) प्रत्येक व्यक्ति को, जो ग्रामीण दस्तकार, छोटा व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति है और जो विस्थापित हुआ है (इस परियोजना में किसी भी आवासीय-सह-व्यावसायिक इमारत का मालिक), कामकाजी शेड या दुकान बनवाने के लिए 25,000 रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता मिलेगी। j) 5,00,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान।
3	कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट (सीओआई) के भीतर की संरचनाएं	किरायेदार/लीज धारक	पुनर्स्थापन और पुनर्वास सहायता	a) पंजीकृत पट्टाधारक लागू होने वाले स्थानीय कानूनों के अनुसार इमारत के मालिक को देय मुआवजे में एक अंश विभाजन के अधिकारी होंगे। b) किरायेदार के मामले में तबादला या स्थान परिवर्तन भत्ते के लिए 50,000 रुपये के साथ-साथ तीन महीने का लिखित नोटिस दिया जाएगा।
C. पेड़ों और फसलों की हानि				
4	कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट के भीतर खड़े हुए पेड़ और फसलें	मालिक और लाभान्वित (पंजीकृत/अपंजीकृत) किरायेदार, ठेका किसान, लीज धारक और बंटाईदार	बाजार मूल्य पर मुआवजा	a) परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को फल, खड़ी हुई फसलों की कटाई, पेड़ हटाने के लिए तीन महीने का अग्रिम नोटिस। b) मुआवजे का भुगतान निम्न द्वारा आकलित दर से किया जाएगा: i) इमारती लकड़ी वाले पेड़ों के लिए वन विभाग ii) फसलों के लिए राज्य कृषि विस्तार विभाग iii) फल/फूल से लदे पेड़ों के लिए बागवानी विभाग c) पंजीकृत किरायेदार, ठेका किसान और पट्टाधारक और बंटाईदार मालिक और लाभान्वित के बीच हस्ताक्षरित समझौता दस्तावेज के

क्र.सं.	विनियोग	पात्र इकाई की परिभाषा	पात्रता	विवरण
				अनुसार पेड़ों और फसलों के लिए मुआवजे का अधिकारी होंगे। d) अपंजीकृत किरायेदार, ठेका किसान, पट्टेधारक और बंटाईदार मालिक और लाभान्वित के बीच आपसी सहमति के अनुसार पेड़ों और फसलों के लिए मुआवजे के अधिकारी होंगे।
D. गैर-स्वत्वाधिकार धारकों को आवासीय/व्यावसायिक इमारतों की हानि				
5	कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट के भीतर या सरकारी जमीन पर बनी इमारतें	परियोजना जनगणना सर्वे के अनुसार चिन्हित किए गए इमारतों के मालिक या इमारतों के निवासी	पुनर्स्थापन और पुनर्वास सहायता	a) गैर कमजोर अतिक्रमणकारियों को कब्जाई हुई जमीन खाली करने के लिए तीन महीने का नोटिस दिया जाएगा। b) कमजोर अतिक्रमणकारियों को इमारत की हानि के लिए प्रतिस्थापन कीमत पर नकद सहायता दी जाएगी, जैसा कि आरएफसीटीएलएआरआर कानून 2013 की धारा 29 में वर्णित है। c) किसी भी ऐसे अतिक्रमणकारी को, जो गैर-कमजोर के रूप में चिन्हित है लेकिन इस्तेमाल की जा रही इमारत का 25 फीसदी से ज्यादा गंवा रहा है, इमारतों की हानि के लिए विस्थापन कीमत पर नकद सहायता का भुगतान किया जाएगा। धनराशि का निर्धारण आरएफसीटीएलएआरआर कानून 2013 की धारा 29 के अनुसार किया जाएगा। d) सभी कब्जाधारियों को उनकी इमारत की हानि के लिए प्रतिस्थापन कीमत पर नकद सहायता दी जाएगी, जिसका निर्धारण आरएफसीटीएलएआरआर कानून 2013 की धारा 29 में बताए अनुसार किया जाएगा। e) सभी कब्जाधारी (खोखों के इतर) गुजारे भत्ते की तौर पर 36,000 रुपये की एकमुश्त सहायता के पात्र होंगे। f) खोखों के इतर सभी कब्जाधारियों को स्थान परिवर्तन भत्ते की तौर पर प्रति परिवार स्थायी इमारतों के लिए 50,000 रुपये, अर्ध-स्थायी इमारतों के लिए 30,000 रुपये और अस्थायी इमारतों के लिए 10,000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। g) प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को, जो ग्रामीण दस्तकार, छोटा व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति है, कामकाजी शेड या दुकान के निर्माण के लिए 25,000 रुपये की सहायता। h) खोखों या किओस्क के मामले में एकमुश्त सहायता की तौर पर केवल 5000 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
E. आजीविका की हानि				
6	कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट (सीओआई) के भीतर रह रहे परिवार	स्वत्वाधिकार धारक/ गैर-स्वत्वाधिकार धारक/बंटाईदार, खेतिहर मजदूर और कर्मचारी	पुनर्स्थापन और पुनर्वास सहायता	a) एकमुश्त सहायता की तौर पर 36,000 रुपये का गुजारा भत्ता। (ऊपर 1(f), 2(f) और 5(e) के तहत समाहित पीएपी इस सहायता के अधिकारी नहीं होंगे)। b) आय उत्पत्ति के लिए प्रति परिवार 10,000 रुपये की प्रशिक्षण सहायता। c) परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को परियोजना निर्माण कार्य में अस्थायी रोजगार, जिसमें निर्माण के दौरान परियोजना ठेकेदार द्वारा कमजोर समूहों पर यथासंभव खास ध्यान दिया जाएगा।
F. कमजोर परिवारों को अतिरिक्त सहायता				
7	कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट (सीओआई) के भीतर रह रहे परिवार	एससी, एसटी, बीपीएल, डब्ल्यूएचएच परिवार	पुनर्स्थापन और पुनर्वास सहायता	50,000 रुपये की एकमुश्त अतिरिक्त वित्तीय सहायता। धारा 5 में पहले ही समाहित कब्जाधारी और अतिक्रमणकारी इस सहायता के पात्र नहीं हैं।
G. सामुदायिक अवसंरचना/साझा संपत्ति संसाधनों की हानि				
8	कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट (सीओआई) के भीतर इमारतें और अन्य संसाधन (जैसे भूमि, जल, इमारतों के पहुंच मार्ग आदि)	प्रभावित समुदाय और समूह	सामुदायिक भवनों और साझा संपत्ति संसाधनों का पुनर्निर्माण	समुदाय के साथ सलाह-मशविरा करके सामुदायिक भवनों तथा साझा संपत्ति संसाधनों का पुनर्निर्माण।

क्र.सं.	विनियोग	पात्र इकाई की परिभाषा	पात्रता	विवरण
H. निर्माण के दौरान अस्थायी प्रभाव				
9	निर्माण के दौरान अस्थायी रूप से प्रभावित हुई जमीन और परिसंपत्तियां	जमीन और परिसंपत्तियों के स्वामी	निर्माण के दौरान अस्थायी प्रभाव के लिए मुआवजा, उदाहरण के लिए सामान्य यातायात का रास्ता बदलना, भारी मशीनरी की आवाजाही और संयंत्र स्थल के कारण जमीन/परिसंपत्ति की नजदीकी हिस्से को नुकसान।	परिसंपत्तियों की हानि, फसलों और किसी भी अन्य नुकसान के लिए ठेकेदार द्वारा मुआवजे का भुगतान 'ठेकेदार' और 'प्रभावित पक्ष' के बीच पूर्व समझौते के अनुसार किया जाएगा।
J.	**पुनर्स्थापन स्थल**			
10	आवासीय भवनों की हानि	विस्थापित स्वत्वाधिकार धारक और गैर-स्वत्वाधिकार धारक	पुनर्स्थापन स्थल/विक्रेता बाजार के प्रावधान	यदि न्यूनतम 25 परियोजना विस्थापित परिवार सहायता-प्राप्त पुनर्स्थापन का विकल्प चुनती हैं, तो पुनर्स्थापन स्थल परियोजना के अंग की तौर पर विकसित किया जाएगा। पुनर्स्थापन स्थल पर भूखंडों/फ्लैटों के आवंटन में कमजोर पीएपी को वरीयता दी जाएगी। भूखंड का आकार आरएफसीटीएलएआरआर कानून 2013 में दिए गए अधिकतम के प्रावधान के अधीन गंवाए गए आकार के समतुल्य होगा। पुनर्स्थापन स्थल पर परियोजना द्वारा आरएफसीटीएलएआरआर कानून 2013 की तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के अनुसार बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसी प्रकार, यदि कम से कम 25 विस्थापित व्यावसायिक प्रतिष्ठान (छोटे व्यवसाय उद्यम) शॉपिंग इकाइयों का विकल्प चुनते हैं तो परियोजना प्राधिकरण विस्थापित व्यक्तियों से विचार-विमर्श करके नजदीकी इलाके में उपयुक्त स्थान पर एक विक्रेता बाजार का विकास करेगा। विक्रेता बाजार में बुनियादी सुविधाएं जैसे संपर्क मार्ग, बिजली का कनेक्शन, पानी और साफ-सफाई की सुविधा आदि परियोजना द्वारा प्रदान की जाएंगी। विक्रेता बाजार में दुकानों के आवंटन में कमजोर पीएपी को वरीयता दी जाएगी। एक विस्थापित परिवार पुनर्स्थापन स्थल पर केवल एक भूखंड अथवा विक्रेता बाजार में केवल एक दुकान का पात्र तथा हकदार होगा।

0.18 सड़क चौड़ी करने के विकल्प

सड़क का डिजाइन बनाते समय सामाजिक मुद्दों को उचित महत्व दिया गया। सामाजिक और डिजाइन टीमों के बीच तालमेल और समन्वय से पीएपी और प्रभावित पीएएच की संख्या को न्यूनतम करने में मदद मिली। लोगों की इच्छा के विरुद्ध उनकी जमीन लेने और सामाजिक प्रभावों बचने के लिए पूरी सड़क के बहुतायत हिस्सों के लिए संकेंद्र या कंसेंट्रिक चौड़ा करने का प्रस्ताव किया गया है। हालांकि जो लोग राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) के भीतर हैं, लेकिन कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट (सीओआई) के भीतर नहीं हैं, वे परियोजना की वजह से विस्थापित नहीं होंगे। जिन टिपिकल क्रॉस सेक्शन को लागू किया गया है, वे नीचे की तालिका में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 0.22: टिपिकल क्रॉस सेक्शन (टीसीएस)

क्र.संख्या	क्रॉस सेक्शन का प्रकार	विवरण
1.	टीसीएस -1ए	दो लेन परिवहन मार्ग पेव्ड और अर्थन या मिट्टी के शोल्डर (ग्रामीण खंड) – ओवरले खंड
2.	टीसीएस -1बी	दो लेन परिवहन मार्ग पेव्ड और अर्थन या मिट्टी के शोल्डर (ग्रामीण खंड) – रिएलाइनमेंट खंड
3.	टीसीएस -2	दो लेन परिवहन मार्ग पेव्ड शोल्डर और ऊंचे उठे फुटपाथ सह नाली और पेवर ब्लॉक के साथ (शहरी/अर्ध-शहरी खंड) – ओवरले खंड
4.	टीसीएस -3	चार लेन परिवहन मार्ग ऊंचे उठे फुटपाथ सह नाली और पेवर ब्लॉक के साथ – ओवरले खंड

सुरक्षा आवश्कताओं और साथ ही तेज रफ्तार से चलने वाले यातायात को स्थानीय धीमी रफ्तार से चलने वाले यातायात से पृथक करने को ध्यान में रखते हुए पूरी परियोजना सड़क में पेव्ड शोल्डर का प्रस्ताव किया गया है।

निर्मित स्थानों का उन्नयन

पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन वाले वर्तमान परियोजना उन्नयन के संदर्भ में पीएपी का संख्या को निर्धारित करने में कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट सबसे महत्त्वपूर्ण मानदंड है। परियोजना की जरूरतों की मांग है कि समूचा कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले अतिक्रमणों, मानव आबादी और संरचनाओं से मुक्त होना चाहिए। अतिक्रमणकारियों और कब्जाधारियों को आरओडब्ल्यू से बेदखल करने से इस बात की कोई गारंटी नहीं मिलती कि वे उन जगहों पर फिर से कब्जा नहीं कर लेंगे। इसलिए सभी आकलन और गणनाएं केवल सीओआई तक सीमित रखी गईं और परियोजना कॉरिडोर ऑफ इंपैक्ट के बाहर किसी भी व्यक्ति को विस्थापित नहीं करेगी, फिर भले ही वह आरओडब्ल्यू के भीतर हो। वर्तमान सड़क पर 14 स्थान ऐसे हैं जहां भारी शहरी निर्माण हैं, इन स्थानों पर प्रतिकूल प्रभावों से बचने/न्यूनतम करने के लिए 13 मी. के सीओआई को उचित माना गया। इन स्थानों पर उन्नयन के लिए कुछ कब्जाधारियों और अतिक्रमणकारियों को हटाने की आवश्यकता होगी। परियोजना सड़क के साथ इन निर्मित इलाकों की कड़ी-वार अवस्थिति नीचे दी गई तालिका में स्पष्ट की गई है।

तालिका 0.23: परियोजना सड़क के साथ निर्मित स्थल

क्रम संख्या	डिजाइन कड़ी (कि.मी.)		लंबाई (मी.में)	क्रॉस सेक्शन का प्रकार	सड़क मार्ग की चौड़ाई (मी.)	निर्मित क्षेत्र का स्थल
	से	तक				
1	59+331	59+820	489	2	13	मुख्तार
2	66+300	66+970	670	2	13	बहजोई
3	72+364	72+916	552	2	13	भावन
4	76+164	76+566	402	2	13	अतरासी
5	77+864	78+766	902	2	13	पवासा
6	79+864	80+336	472	2	13	दुटौटा
7	85+714	91+286	5572	2	13	हयातनगर/संभल
8	104+410	104+750	340	2	13	मिर्जापुर करावा
9	108+764	109+796	1032	2	13	सैयद नागली
10	111+714	112+326	612	2	13	डक्का मोड़
11	114+414	115+416	1002	2	13	उजहारी
12	124+064	125+066	1002	2	13	हसनपुर
13	130+864	131+666	802	2	13	मनोटा
14	136+666	137+525	859	3 (4लेन)		गजरौला

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे

0.19 पुनर्स्थापन का समय

पुनर्स्थापन की प्रक्रिया उस मार्ग विशेष पर सिविल कार्य शुरू होने तक अवश्य पूरी हो जानी चाहिए। सीओआई के भीतर स्थित पीएपी के पुनर्स्थापन का निष्पादन करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का विकास पीडब्ल्यूडी उस परियोजना सड़क के किसी भी खंड का सिविल कार्य प्रारंभ होने से पहले करेगा। सिविल कार्य शुरू होने से पहले इन लोगों को उनकी संपत्ति को खाली करने के लिए कम से कम तीन महीने का नोटिस दिया जाएगा। नवंबर 2014 में यूपी पीडब्ल्यूडी के साथ इलाके का दौरा करने के दौरान ठेकेदार को सौंपने के लिए मील के पत्थर या माइलस्टोन को अंतिम रूप दे दिया गया। मील का पत्थर परियोजना गलियारे में बगैर किसी रुकावट के स्थापित है।

ठेकेदार को पहले वे टुकड़े या पट्टियां सौंपी जाएंगी जो अतिक्रमणों और अन्य बाधाओं से मुक्त हैं। ठेकेदार को सौंपी जाने वाली पट्टियों या टुकड़ों की समय सारणी नीचे दी गई है।

तालिका 0.24: हिस्से या पट्टियां ठेकेदार को सौंपे जाने की योजना

क्रम संख्या	मौजूदा कड़ी कि.मी से कि.मी.	लंबाई (कि.मी.)	आरओडब्ल्यू देने की तारीख
1	2	3	4
(i) खंड 1	122+000 to 130+010	8.010	समझौते की तारीख से 15 दिन
(ii) खंड 2	58+400 to 122+000	63.600	समझौते की तारीख से 12 महीने
	130+010 to 137+820	7.810	

0.20 सांस्थानिक व्यवस्था

कार्य योजना में योजना के समुचित संघटन और क्रियान्वयन के लिए एक विस्तृत व्यवस्था बताई गई है। एक सामाजिक प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है, जो कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा। एक पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आर एंड आर) अधिकारी होगा, जिसकी सहायता के लिए प्रत्येक सड़क का एक आर एंड आर प्रबंधक (कार्यपालक अभियंता के दर्जे का) होगा। इसके अलावा क्रियान्वयन प्राधिकरण और साथ प्रभावित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए आर एंड आर परियोजनाओं के क्रियान्वयन में प्रासंगिक अनुभव रखने वाले गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को संविदा पर रखा जा सकता है। प्रतिस्थापन मूल्य के निर्धारण और लोगों की सभी शिकायतों का निपटारा करने में सुगमता प्रदान करने के लिए जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा।

0.21 एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र

मुख्यालय स्तर पर एक एकीकृत शिकायत निवारण व्यवस्था (आईजीआरएम) स्थापित की जाएगी, जो विभिन्म माध्यमों (उदारहरण के लिए, एक इसी कार्य के लिए समर्पित टोल फ्री फोन लाइन, वेब आधारित शिकायतें, फीडबैक पंजिका में लिखित शिकायतें और खुले जन दिवसों) का इस्तेमाल करते हुए इनका उपयोग करने वालों की शिकायतें दर्ज करेगी और समयबद्ध प्रणाली से उनका निराकरण करेगी। परियोजना एक शिकायत निवारण या जन संपर्क अधिकारी की नियुक्ति करेगी, जो फोन और वेब आधारित शिकायतों को संभालने के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यह अधिकारी परेशान व्यक्ति की शिकायत को ई-मेल के माध्यम से संबंधित अधिकारी को भेजने के लिए उत्तरदायी होगा। कोई भी फोन कॉल या वेब आधारित या ई-मेल प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ठ नंबर सृजित किया जाएगा, जो कॉल करने वाले के लिए संदर्भ नंबर होगा और वह उस संदर्भ नंबर के माध्यम से अपनी शिकायत/पूछताछ की प्रगति के बारे में पता लगा सकेगा। किसी भी शिकायत का निराकरण शिकायत प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। इस प्रणाली में एक संवर्धन या एस्केलेशन मैट्रिक्स होगा अर्थात यदि निर्धारित समयावधि में शिकायत/पूछताछ पर ध्यान नहीं दिया गया है या संबंधित अधिकारी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है, तो प्रणाली उस शिकायत/पूछताछ को ई-मेल के माध्यम से अगले स्तर पर बढ़ा देगी। टोल फ्री फोन लाइन की देखरेख सभी कार्य दिवसों पर प्रातः 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक की जाएगी। निर्धारित समय के पहले या बाद में किया गया कोई भी कॉल रिकॉर्ड हो जाएगा और वॉइस मेल से शिकायत अधिकारी को संबोधित एक ई-मेल स्वतः ही भेज दिया जाएगा। शिकायत अधिकारी फिर उस ई-मेल को संबंधित अधिकारी को भेजेगा और फॉलो-अप करेगा। रिकॉर्ड किए गए संदेश का जवाब अगले दिन दिया जाएगा। परियोजना समुदायों/लाभान्वितों सहित प्रमुख हितधारकों के साथ अग्रसक्रिय खुलासों और जानकारी का साझा करने के लिए भी अपने आप को बचनबद्ध करेगी। पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट पर सामाजिक विकास अधिकारी का नाम और नंबर; टोल फ्री नंबर और साथ ही वेबसाइट का पता भी होगा।

0.22 क्रियान्वयन व्यवस्थाएं और समय सारिणी

यह पूर्वप्रत्याशा की जाती है कि आर एंड आर गतिविधियों को सिविल कार्य प्रारंभ करने से पहले पूरा कर लिया जाएगा। परियोजना मुख्यालय स्तर पर पर्यावरण, सामाजिक विकास और पुनर्स्थापन प्रकोष्ठों की स्थापना करेगी। ईएसडीआरसी की

कमान प्रधान अभियंता के हाथों में होगी और इसमें एक पर्यावरण और एक सामाजिक विकास विशेषज्ञ होगा। इन विशेषज्ञों को बाजार से पारिश्रमिक देकर रखा जाएगा। परियोजना आरएपी के क्रियान्वयन के लिए एक एनजीओ की सेवाएं भी पारिश्रमिक पर लेगी। परियोजना जिला स्तर पर परियोजना क्रियान्वन इकाई की स्थापना करेगी। पर्यावरण और सामाजिक अधिकारी (ईएसओ) की तौर पर एक सहायक अभियंता को विनिर्दिष्ट किया जाएगा। ईएसओ जिला स्तर पर लाइन विभागों के साथ समन्वय के लिए जिम्मेदार होगा और जहां भी आवश्यक होगा भूमि खरीद को सुगम बनाएगा। पुनर्स्थापन कार्य योजना दो वर्षों में क्रियान्वित की जाएगी।

भूमि अधिग्रहण और आस्तियों या परिसंपत्तियों पर प्रभाव

भूमि अधिग्रहण अनुमान

एसएच 51 के उन्नयन और चौड़ा करने के फलस्वरूप परियोजना क्षेत्र के पर्यावरण के ऊपर और लोगों के ऊपर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ने की अपेक्षा की जाती है। हालांकि सड़क उन्नयन के लिए बहुत ही कम भूमि का अधिग्रहण करना होगा, लेकिन दो स्थानों पर पुलों के संपर्क मार्गों को चौड़ा करने के कारण 48 स्वत्वाधिकार धारकों को जमीन की छोटी-सी पट्टी देनी होगी, जो कुल 1.910 हेक्टेयर है। हालांकि कुल 3.37 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता होगी, इसमें 1.910 हेक्टेयर निजी जमीन की जरूरत होगी, जबकि बाकी 1.820 हेक्टेयर भूमि पीडब्ल्यूडी की है। विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 0.25: प्रस्तावित पुलों पर भूमि अधिग्रहण के विवरण

क्रम सं.	पुलों के स्थल (कड़ी)	जिला	तहसील	गांव का नाम	खसरे की कुल संख्या/खाता संख्या	स्वत्वाधिकार धारकों की कुल संख्या	प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	119+900 to 120+460	अमरोहा	हसनपुर	कालाखेड़ा	14	25	0.864
				भीकनपुर साकरी	10	5	
2	130+010 to 130+660	अमरोहा	हसनपुर	आगापुर कला	5	19	1.046
				मनौटा	1	6	
				योग	**30**	**45**	**1.910**

तालिका 0.26: पुलों के रिएलाइनमेंट के कारण प्रभावित हो रहे भूखंड संख्याओं की सूची

स्थान (120+200 कि.मी. से 120+740 कि.मी. तक) बदायूं-बिल्सी-बिजनौर सड़क

(एसएच-51) जिला : अमरोहा, तहसील : हसनपुर

क्रम सं.	गांव का नाम	खतौनी/खाता संख्या	भूखंड संख्या/खसरा संख्या	रकबा/क्षेत्र	स्वामी या मालिक का नाम
1	भीकनपुर साकरी	10	52/1	0.125	ए. रहमान वल्द मोहम्मद उस्मान और संजीदा रहमान शौहर ए. रहमान
2	भीकनपुर साकरी	10	54/1	0.158	
3	भीकनपुर साकरी	10	55	0.813	
4	भीकनपुर साकरी	123	52/2	0.0080	सरकारी जमीन
5	भीकनपुर साकरी	123	54/2	0.0160	सरकारी जमीन
6	कालाखेड़ा	396	310	3.031	पक्की सड़क (सरकारी जमीन)
7	कालाखेड़ा	128	312 Min	0.4050	कल्लू वल्द झंडू
8	कालाखेड़ा	156	315	0.1940	चंदा शौहर एवाज
9	कालाखेड़ा	400	311	0.0890	खंती सड़क (सरकारी जमीन)

क्रम सं.	गांव का नाम	खतौनी/खाता संख्या	भूखंड संख्या/खसरा संख्या	रकबा/क्षेत्र	स्वामी या मालिक का नाम
10	कालाखेड़ा	399	316 Min	0.0240	राजकीय सड़क (सरकारी जमीन)
11	कालाखेड़ा	399	335 Min	0.0810	राजकीय सड़क (सरकारी जमीन)
12	कालाखेड़ा	399	336 Min	0.0730	राजकीय सड़क (सरकारी जमीन)
13	कालाखेड़ा	56	317	0.0890	बहादुर अली वल्द असगर अली, अली हुसैन वल्द मोहम्मद
14	कालाखेड़ा	73	318	0.393	मुम्तियाज, इम्तियाज, मुश्ताक वल्द मरहूम अब्दुल रज्जाक, मो. शफी वल्द नन्हे बहादुर अली वल्द असगर अली, अली हुसैन वल्द मोहम्मद, इदुआ वल्द बन्ने, इस्लाम, इकबाल, इरफान, फुरकन, तौफीक, लईक अहमद, अर्कन वल्द फिदा हुसैन, फातिमा बेगम शौहर फिदा हुसैन, मोह. ताहिर, शाहिद हुसैन, जाहिद हुसैन वल्द अब्दुल हमीद, श्रीमती अनवरी बेगम शौहर अब्दुल हमीद
15	कालाखेड़ा	29	335 Min	0.741	ए. हमीद वल्द ए. अलीमुल्ला
16	कालाखेड़ा	272	336 Min	0.987	श्रीमती मेहबूबन शौहर रफीक अहमद, शुबरती वल्द अब्दुल हक, ओम प्रकाश वल्द कचेड़ी
17	कालाखेड़ा	339	336 Min	0.134	शुबरती वल्द अब्दुल हक
18	कालाखेड़ा	204	339 Min	2.339	नन्हे मियां वल्द बन्ने मियां, मो. अली उर्फ मुन्ना वल्द बन्ने मियां, खैराती वल्द हाजी मेहताब

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे

तालिका 0.27: पुलों के रिएलाइनमेंट के कारण प्रभावित हो रहे भूखंड संख्याओं की सूची

स्थान (129+640 कि.मी. से 130+400 कि.मी. तक) बदायूं-बिल्सी-बिजनौर सड़क

(एसएच-51) जिला : अमरोहा, तहसील : हसनपुर

क्रम सं.	गांव का नाम	खतौनी/खाता संख्या	भूखंड संख्या/खसरा संख्या	रकबा/क्षेत्र	स्वामी या मालिक का नाम
1	आगापुर कला	28	101	0.429	गुरचरन सिंह वल्द कंधार सिहं, बलविंदर सिंह सिंह वल्द कंधार सिंह
2	आगापुर कला	28	103	0.259	
3	आगापुर कला	7	102	0.049	अमान उल्लाह खां वल्द रफत उल्लाह खां, शादाब उल्लाह खां वल्द रफत उल्लाह खां, अजीजुन निशा बेगम शौहर मरहूम रफल उल्लाह खां, मोह. उस्मान वल्द बशीर अहमद
4	आगापुर कला	135	104	0.182	संजय कुमार रस्तोगी वल्द राधे लाल रस्तोगी
5	आगापुर कला	32	105	0.668	चंद्र पाल सिंह नागर वल्द रामेश्वर सिंह नागर, मनोज कुमार वल्द सतपाल सिंह, पायल अग्रवाल शौहर नीरज अग्रवाल
6	मनौता	25	145	1.153	गजपाल सिंह वल्द डाले उर्फ डालचंद, हरपाल वल्द श्यामा उर्फ श्यामलाल, विनोद वल्द श्यामा उर्फ श्यामलाल, राजेंद्र सिंह वल्द लल्लू सिंह, डालचंद वल्द लल्लू सिंह

स्रोत : ईजीआईएस प्राथमिक सर्वे

बजट

आरएपी के क्रियान्वयन में व्यय करना आवश्यक होगा, जो परियोजना की कुल लागत का अंग हैं। आरएंडआर बजट आरएपी की अनुमानित लागतों का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है और मुआवजे, सहायता, प्रशासनिक व्ययस निगरानी और मूल्यांकन और आकस्मिक व्यय सहित पुनर्स्थापन क्रियान्वयन के पूरे पैकेज के लिए लागत-वार, मद-वार बजट अनुमान प्रदान करता है। मुआवजा धनराशियों और अन्य सहायता व्यवस्थाओं के मूल्य वार्षिक मुद्रास्फीति कारक के आधार पर समायोजित किए जाएंगे।

कुल लागत की 5 फीसदी के आसपास धनराशि भौतिक आकस्मिकताओं के लिए अलग रख दी गई है। इस प्रकार की आकस्मिकताएं परियोजना में लगने वाले समय के बढ़ जाने के परिणामस्वरूप अथवा विभिन्न अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों की वजह से उत्पन्न हो सकती हैं।

अनुमानित लागतों में मुख्य रूप से संरचनागत लागत और आरएंडआर सहायता लागतें शामिल हैं।

सिविल कार्यों की लागत : बजट तैयार करते हुए आरएंडआर टीम ने परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य निकालने पर विशेष बल दिया। आरएंडआर टीम ने पीएपी के एक हिस्से, संबंधित जिले के राजस्व अधिकारियों, इस कार्य में लगाए गए स्थानीय उद्यमियों और यहां तक कि प्रत्येक किलोमीटर की पट्टी में गैर-पीएपी से भी दाम के डेटा का सत्यापन किया। पुनर्स्थापन बजट, खास तौर पर मुआवजे की गणना इसी आधार पर की गई है।

आर एंड आर सहायता : स्थान परिवर्तन भत्ता, गुजारा भत्ता और कामकाजी शेड के लिए अनुदान जैसी आर एंड आर सहायता धनराशियां परियोजना के लिए स्वीकृत आरएंडआर नीति से ली गई हैं।

क्रियान्वयन व्यवस्था के लिए लागत : एनजीओ, एमएंडई एजेंसी की सेवाएं लेने और लैंगिक कार्य योजना के क्रियान्वयन की लागत के अनुमान अन्य परियोजनाओं, पूर्वप्रत्याशित गतिविधियों और पीएपी की संख्या के आधार पर लगाए गए हैं।

आरएपी क्रियान्वयन का बजट **2.94 करोड़ रुपये** आता है। विस्तृत बजट नीचे प्रस्तुत है:

तालिका 0.28: आरएंडआर नीति पर आधारित आरएंडआर बजट की अनुमानित लागत

क्र.संख्या	मद	इकाई हे.	दर प्रति हे.	मुआवजा सर्किल रेट के अनुसार	मुआवजा सर्किल रेट के चार गुना अनुसार
A	**भूमि की प्रतिस्थापन लागत**				
1	कालाखेडा	0.497	5900000	2932300	11729200
2	भिक्मनपुर शार्की	0.190	4600000	874000	3496000
3	गापुर काला	0.241	5300000	1277300	5109200
4	मनौत	0.053	5700000	300390	1201560
	योग	**0.981**		**5383990**	**21535960**
B	**सहायता**	**संख्या**	**रुपये**		
1	एक बार अतिरिक्त वित्तीय सहायता रु 50000. (एससी, एसटी, बीपीएल)	10	50000		**500000**
C	**संरचनाओं के गैर स्वत्वाधिकार धारकों के लिए विस्थापन लागत**	**इकाई**	**दर वर्ग मी./इकाई**		**धनराशि**
1	स्थायी संरचना के लिए विस्थापन लागत	71.19	12000		854280
2	अर्धस्थायी संरचना के लिए विस्थापन लागत	0.00	11000		0.00
3	अस्थायी संरचना के लिए विस्थापन लागत	73.18	8000		585440
4	चारदीवारी के लिए विस्थापन लागत	0.00	2000		0.00
	योग	**144.37**	**1563930**		**1439720**

क्र.संख्या	मद	इकाई हे.	दर प्रति हे.	मुआवजा सर्किल रेट के अनुसार	मुआवजा सर्किल रेट के चार गुना अनुसार
D	**सहायता**	**इकाई**	**दर वर्ग मी./इकाई**		**धनराशि**
1	कब्जाधारियों को गुजारा भत्ता की तौर पर 36,000 रुपये की एकमुश्त सहायता	6	36000		216000
2	स्थायी संरचना के लिए एकमुश्त अनुदान की तौर पर 50,000 रुपये का स्थान परिवर्तन भत्ता	0.00	0.00		0.00
3	अर्ध-स्थायी संरचना के लिए एकमुश्त अनुदान की तौर पर 30,000 रुपये का स्थान परिवर्तन भत्ता	0.00	0.00		0.00
4	अस्थायी संरचना के लिए एकमुश्त अनुदान की तौर पर 10,000 रुपये का स्थान परिवर्तन भत्ता	11	1000		11000
5	खोखों या किओस्क के लिए एकमुश्त केवल 5,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा	3	5000		15000
6	किरायेदारों को शिफ्टिंग के लिए 50,000 रुपये स्थान परिवर्तन भत्ता	0.00	0.00		0.00
7	आय सृजन के लिए 10,000 रुपये की प्रशिक्षण सहायता	16	10000		160000
				योग	**402000**
E	**समुदाय/संपत्तियों के लिए सीपीआर-मुआवजा**	**वर्ग कि.मी.में**	**रुपये**		
1	धार्मिक स्थायी संरचनाओं के लिए मुआवजा	101.2	12000		1214400
2	धार्मिक अर्ध-स्थायी संरचनाओं के लिए मुआवजा	44.45	11000		488950
3	सामुदायिक चारदीवारी (परिचालन मी. में)	292.50	650		190125
				योग	**1893475**
F	**क्रियान्वयन व्यवस्था**				
1	जीएपी का क्रियान्वयन	एकमुश्त राशि			1000000
2	एनजीओ की सेवाएं लेना	एकमुश्त राशि			350000
3	एमएंडई एजेंसी की सेवाएं लेना	एकमुश्त राशि			800,000
4	आरएपी के मुद्दों पर परियोजना कर्मचारियों को प्रशिक्षण	एकमुश्त राशि			100,000
				योग	**2250000**
				महायोग (A +B+C +D+E+F)	**28021155**
				आकस्मिकता 5%	1401058
				महायोग	**29422213**

भूमि की कीमत की गणना सर्किल दर के अनुसार की गई है।